



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112022-240612
CG-DL-E-28112022-240612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—अनुभाग 3क
PART II—Section 3A

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/ अग्रहायण 7, 1944	[खण्ड. XLV
No. 3]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944	[Vol. XLV

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

राजभाषा खण्ड

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

दि लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, 2022 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

OFFICIAL LANGUAGES WING

New Delhi, the 16th November, 2022

The translation in Hindi of the Lakshadweep Panchayat Regulation, 2022 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

गृह मंत्रालय
लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022
(2022 का विनियम संख्यांक 5)

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित।

लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में पंचायतों के लिए

और उनसे संबंधित या उनके

आनुषंगिक विषयों का उपबंध

करने के लिए

विनियम

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके द्वारा बनाए गए निम्नलिखित विनियम को प्रख्यापित करती हैं:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रशासन” से लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है ;

(ख) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ग) “भवन” के अंतर्गत कोई गृह, उपभवन, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय, शेड, झोंपड़ी, दीवार (8 फीट से अनधिक ऊंचाई वाली सीमा दीवार से भिन्न) और कोई अन्य ढांचा भी है, चाहे वह पक्की चिनाई, ईंटों, लकड़ी, धातु या किसी अन्य सामग्री का हो, किंतु इसके अंतर्गत समारोह या त्यौहार के अवसरों पर परिनिर्मित अस्थायी ढांचा या तंबू नहीं है ;

(घ) “मुख्य कार्यपालक अधिकारी” से प्रशासक द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) “पंचायत निदेशक” से पंचायत राज विभाग में, उस विभाग के सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कार्य करने वाला, पंचायतों का कोई भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) “जिला” से प्रशासक द्वारा, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए जिला होने के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई जिला अभिप्रेत है ;

(छ) “जिला न्यायाधीश” से लक्षद्वीप का जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

(ज) “जिला पंचायत” से धारा 57 के अधीन गठित जिला पंचायत अभिप्रेत है ;

(झ) “जिला पंचायत निधि” से धारा 87 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है ;

(ञ) “निर्वाचन आयोग” से धारा 107 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ट) “वित्त आयोग” से धारा 108 में निर्दिष्ट वित्त आयोग अभिप्रेत है ;

(ठ) “साधारण निर्वाचन” से पंचायत की अवधि की समाप्ति के पश्चात् या अन्यथा, उसके गठन या पुनर्गठन के लिए इस विनियम के अधीन कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है ;

(ड) “ग्राम” से कोई ग्राम अभिप्रेत है ;

(ढ) “ग्राम निधि” से धारा 38 में निर्दिष्ट कोई निधि अभिप्रेत है ;

(ण) “ग्राम पंचायत” से इस विनियम के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत अभिप्रेत है ;

(त) “ग्राम सभा” से धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन गठित कोई ग्राम सभा अभिप्रेत है ;

(थ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है तथा “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(द) “राजपत्र” से लक्षद्वीप का राजपत्र अभिप्रेत है ;

(ध) “लोकपाल” से इस विनियम के उपबंधों के अधीन प्रशासक द्वारा गठित निकाय अभिप्रेत है ;

- (न) “पंचायत क्षेत्र” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रशासक द्वारा घोषित किसी ग्राम पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;
- (प) “पंचायत सचिव” से धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई पंचायत सचिव अभिप्रेत है ;
- (फ) “जनसंख्या” से अंतिम पिछली जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, पर यथा अभिनिश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है ;
- (ब) “विहित” से इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (भ) “विहित प्राधिकारी” से इस विनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासक द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (म) “अध्यक्ष” और “उपाध्यक्ष” से जिला पंचायत का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (य) “सार्वजनिक सड़क” से ऐसा पथ्या, सड़क, पथ, चौक, प्रांगण, गली, कार्ट ट्रैक, पैदल मार्ग या सवारी रास्ता अभिप्रेत है, जिस पर जनता को चलने का अधिकार होता है, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या नहीं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—
- (i) किसी सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग के ऊपर सड़क मार्ग ;
- (ii) कोई ऐसी सड़क, सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग से संलग्न पैदल मार्ग ;
- (iii) ऐसे किसी मार्ग, सड़क, सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग से संलग्न नालियां ; और
- (iv) ऐसी भूमि, जो सड़क के किसी ओर,—
- (क) पार्श्वस्थ संपत्ति की सीमाओं तक स्थित है; या
- (ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से अधिसूचित मार्ग के अधिकार तक स्थित है ;
- (यक) “विनियम” से लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022 अभिप्रेत है ;
- (यख) “सरपंच” से किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अभिप्रेत है ;
- (यग) “अनुसूची” से इस विनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (यघ) “सचिव पंचायत” से लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में पंचायती राज विभाग का भारसाधक सचिव अभिप्रेत है ;

(यड) “धारा” से इस विनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(यच) “राज्य निर्वाचन आयोग” से संघ राज्यक्षेत्र का निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(यछ) “कर” से इस विनियम के अधीन कोई कर, उपकर, अन्य उद्गृणीय कर की दर अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत फीस नहीं है ;

(यज) “संघ राज्यक्षेत्र” से लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(यझ) “उपसरपंच” से किसी ग्राम पंचायत का उपसरपंच अभिप्रेत है ;

(यज) “ग्राम” से प्रशासक द्वारा, इस विनियम के प्रयोजन के लिए, गांव होने के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई गांव अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत गांवों का समूह सम्मिलित है ;

(यट) “वार्ड” से किसी जिले के वार्ड से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना कोई निकाय अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

ग्राम सभा

3. पंचायत क्षेत्र की घोषणा और ग्राम सभा का गठन—

(1) प्रशासक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, किसी गांव या गांवों के किसी समूह या उसके किसी भाग या किन्हीं भागों अथवा उनमें से कोई दो या अधिक के संयोजन से मिलकर बनने वाले किसी स्थानीय क्षेत्र को, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए पंचायत क्षेत्र घोषित करेगा और उसका मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(2) प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए नाम द्वारा एक ग्राम सभा का गठन करेगा ।

(3) प्रत्येक ग्राम सभा, इस धारा की उपधारा (2) के अधीन, अधिसूचित नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और उसे ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस विनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित की जाएं, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंध और अंतरण करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगी या उस पर वाद लाया जाएगा :

परंतु इस विनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का, धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग किया जाएगा, उसका अनुपालन और निर्वहन किया जाएगा ।

4. ग्राम सभा की संरचना और ग्राम सभा का सदस्य बनने की निरर्हता— (1) कोई ग्राम सभा, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर

बनेगी, जो ग्राम, या किसी गांव या गांवों के समूह, से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत है।

(2) कोई व्यक्ति, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

(क) अठारह वर्ष से कम आयु का है ;

(ख) भारत का नागरिक नहीं है ;

(ग) विकृत चित का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; और

(घ) उस गांव के भीतर साधारण तौर से निवासी नहीं है, जिसके लिए ग्राम सभा गठित की गई है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी गांव का साधारण तौर से निवासी समझा जाएगा, यदि वह ऐसे गांव में साधारण तौर से निवास कर रहा है या वहां उसके कब्जे में अधिभोग के लिए निवास गृह है।

5. ग्राम सभा के सदस्यों की निर्वाचक नामावली—(1) विहित प्राधिकारी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए एक निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली में धारा 4 के अधीन ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए हकदार सभी व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे और ऐसी निर्वाचक नामावली, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जाएगी।

6. ग्राम सभा के क्षेत्र में परिवर्तन—(1) प्रशासक, किसी भी समय, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा,—

(क) किसी ग्राम में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा ;

(ख) किसी ग्राम से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा ;

(ग) यह घोषित कर सकेगा कि कोई स्थानीय क्षेत्र ग्राम नहीं रहा है ;

(घ) किसी ग्राम सभा के मुख्यालय को परिवर्तित कर सकेगा ; या

(ङ) किसी ग्राम सभा का नाम परिवर्तित कर सकेगा।

(2) जहां, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को किसी ग्राम में सम्मिलित किया जाता है, वहां ऐसा क्षेत्र उसके द्वारा, इस विनियम और ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सभी अधिसूचनाओं, नियमों, उपविधियों और किए गए आदेशों के अधीन हो जाएगा।

(3) जहां, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम सभा का संपूर्ण क्षेत्र कोई ग्राम सभा नहीं रह जाता है, वहां

ग्राम सभा अस्तित्वहीन हो जाएगी और उसकी आस्तियों और दायित्वों का विहित रीति में व्ययन कर दिया जाएगा और यदि ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को किसी ग्राम सभा से अपवर्जित कर दिया जाता है तो ग्राम सभा की अधिकारिता उस भाग तक कम हो जाएगी।

7. ग्राम सभा की सदस्यता की समाप्ति—(1) ग्राम सभा का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि—

(क) वह धारा 4 के अधीन निरर्हित हो जाता है ; या

(ख) ऐसा क्षेत्र, जहां वह निवास करता है, ग्राम सभा की अधिकारिता से अपवर्जित कर दिया गया है ; या

(ग) वह ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर साधारणतया निवासी नहीं रहा है।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम सभा का सदस्य नहीं रहता है, वहां वह किसी ऐसे पद को धारण करने से प्रवृत्त हो जाएगा, जिसके लिए वह उसके सदस्य होने के कारण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है।

8. ग्राम सभा के अधिवेशन—(1) प्रत्येक ग्राम सभा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार साधारण अधिवेशन करेगी और यह सरपंच का दायित्व होगा कि वह ऐसे अधिवेशन को बुलाए :

परंतु सरपंच, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक बटा दस सदस्यों द्वारा लिखित रूप में की गई अध्यक्षता के आधार पर, ऐसी अध्यक्षता की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ग्राम सभा का असाधारण अधिवेशन बुलाएगा :

परंतु यह और कि जहां सरपंच, इस उपधारा के अधीन अधिवेशन बुलाने में असफल रहता है, वहां ऐसा प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसा अधिवेशन बुलाएगा।

(2) सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच या दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति ऐसे अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) ग्राम सभा के किसी भी साधारण अधिवेशन के लिए उसके सदस्यों की कुल संख्या के एक बटा दस सदस्यों से गणपूर्ति होगी और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे।

(4) अधिवेशनों के समय और स्थान की सूचना विहित रीति से दी जाएगी।

(5) अधिवेशन के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कुल सदस्यों की दस प्रतिशत होनी चाहिए, जिसमें से तीस प्रतिशत महिलाएं होंगी।

9. साधारण अधिवेशन में कारबार का संव्यवहार —(1)

सरपंच, ग्राम सभा के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए निम्नलिखित विषय रखेगा, अर्थात् :--

(क) लेखाओं का वार्षिक विवरण ;

(ख) प्राक्कलित बजट ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य के विकासात्मक और अन्य कार्यक्रम ;

(घ) नए कराधान और वर्धित कराधान के प्रस्ताव ;

(ङ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट ; और

(च) अंतिम संपरीक्षा के टिप्पण और उनके उत्तर ।

(2) ग्राम सभा, निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिशें और सुझाव देगी, अर्थात् :--

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ;

(ख) ग्राम पंचायत की स्कीमों की योजना बनाना, उनका अधीक्षण, समन्वयन और मानीटरी ;

(ग) पंचायत शोध्यों की वसूली ;

(घ) अंतिम संपरीक्षा रिपोर्ट और उनके दिए गए उत्तर; और

(ङ) किसी कार्यक्रम में सम्मिलित किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए स्थानीय लोगों की सामुदायिक सेवा, स्वैच्छिक श्रम या गतिशीलता संहारित करने के लिए प्रस्ताव ;

परंतु ग्राम सभा की सिफारिशों पर यथासाध्य ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी ।

10. ग्राम सभा के कृत्य — ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :--

(i) प्रशासन के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों और स्थलों की पहचान ;

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्राथमिकताओं का अवधारण ;

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान सहायता या ग्राम पंचायत निधियों से किए गए विकास कार्य के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करना ; और

(iv) कोई अन्य कृत्य, जो उसे प्रशासक द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

11. ग्राम सभा की पर्यवेक्षी समितियां—(1) ग्राम सभा, निम्नलिखित पर्यवेक्षी समितियों का, ऐसी रीति में, जो ग्राम पंचायत के कार्य और ग्राम में अन्य क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिए विहित किए जाएं, गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) सामान्य स्थायी समिति ;

(ख) ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति ;

(ग) योजना और विकास समिति ;

(घ) शिक्षा समिति (विद्यालय प्रबंधन समिति) ;

(ङ) सामाजिक न्याय स्थायी समिति ; और

(च) जल आपूर्ति, जल और पर्यावरण संरक्षण समिति ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षी समितियां, ग्राम पंचायत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और अपनी रिपोर्ट की एक प्रति ग्राम सभा के अधिवेशन में भी देंगी ।

(3) सरपंच और वार्ड सदस्यों के अतिरिक्त, अन्य विशेषज्ञ सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को विशेष आमंत्रितियों के रूप में सम्मिलित किया जाएगा ।

अध्याय 3**ग्राम पंचायत और निर्वाचन**

12. ग्राम पंचायतों का गठन—(1) प्रत्येक ग्राम सभा, अपने गठन के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ग्राम पंचायत नामक एक कार्यकारी समिति और सरपंच के रूप में ज्ञात उस समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी ।

(2) किसी ग्राम पंचायत में, वार्ड के उतने स्थान, जिसमें वार्ड के ऐसे स्थानों में से भरे जाने वाला सरपंच सम्मिलित है, होंगे, जितने प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, अवधारित करे ।

(3) किसी ग्राम सभा के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले उस पंचायत के स्थानों की संख्या का अनुपात, संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में एक समान होगा ।

(4) प्रत्येक वार्ड के लिए क्षेत्रीय सीमा निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर प्रशासक द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को, निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिससे संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के मध्य अनुपात यथासाध्य एक समान हो जाए ।

(6) प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य बड़ी होगा, जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान निर्वाचन आयोग द्वारा किसी ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आबंटित किए जाएंगे, जो विहित की जाए :

परंतु ऐसा आरक्षण तब आवश्यक नहीं होगा, यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या, एक स्थान भरे जाने के लिए अपेक्षित आनुपातिक जनसंख्या के आधे से कम है।

(7) उपधारा (6) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(8) प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान निर्वाचन आयोग द्वारा किसी ग्राम पंचायत के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आबंटित किए जाएंगे, जो विहित की जाए।

(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के अधीन आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या प्रशासक द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अवधारित की जाएगी।

(10) प्रशासक,—

(क) ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सरपंच के पदों की संख्या आरक्षित करेगा, जिसका अनुपात ग्राम पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे क्षेत्र में, जिसमें यह विनियम विस्तारित है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है;

(ख) ग्राम पंचायतों में सरपंचों के पदों की कुल संख्या के कम से कम आधे पद स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन आरक्षित पद, निर्वाचन आयोग द्वारा भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आबंटित किए जाएंगे, जो विहित की जाए।

13. मतदान करने और निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति—(1) ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य, जब तक इस विनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं कर दिया जाता है,—

(क) ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन में या ग्राम सभा में किसी अधिवेशन में मत देने के लिए अर्हित होगा;

(ख) ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में या इसके सरपंच के रूप में या दोनों के रूप में, स्थानों को भरने हेतु निर्वाचित होने के लिए अर्हित होगा :

परंतु यदि कोई व्यक्ति, सदस्य और सरपंच दोनों पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वह राजपत्र में परिणाम के प्रकाशन

की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर दोनों में से एक पद का त्याग कर देगा, जिसके असफल होने पर ग्राम पंचायत में उसका स्थान खाली हो जाएगा।

(2) ऐसे त्यागपत्र के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति, उस प्रयोजन के लिए उपनिर्वाचन के आधार पर भरी जाएगी।

14. ग्राम पंचायत का सदस्य रहने के लिए निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति, किसी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा या उस रूप में नहीं रहेगा, यदि,—

(क) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(ख) वह भारत का नागरिक नहीं है ;

(ग) उसे, चाहे इस विनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या इसके पश्चात्,—

(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है और उसकी दोषसिद्धि को पांच वर्ष की अवधि, या ऐसी कम अवधि, जो प्रशासक किसी विशिष्ट मामले में अवधारित करे, व्यपगत हो चुकी है ;

(ii) किसी अन्य अपराध के लिए सिद्धदोष और छह माह से अन्यून के कारावास से दंडित किया गया है और उसकी उन्मुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि, या ऐसी कम अवधि, जो प्रशासक किसी विशिष्ट मामले में अवधारित करे, व्यपगत हो चुकी है ;

(घ) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त का न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ङ) उसे दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है ;

(च) उसे इस विनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी ग्राम पंचायत में उसके द्वारा धारित किसी पद से या इस विनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी ग्राम पंचायत से हटा दिया गया हो और ऐसे हटाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समयावधि व्यपगत नहीं हुई है, जब तक कि उसे, राजपत्र में अधिसूचित प्रशासक के किसी आदेश के द्वारा, पद के ऐसे हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई निरर्हता से उन्मुक्त नहीं कर दिया जाता है ;

(छ) वह इस विनियम के किसी उपबंध के अधीन पद धारण करने से निरर्हित हो गया है और ऐसी अवधि, जिसके लिए वह इस प्रकार निरर्हित हुआ है, व्यपगत नहीं हुई है ;

(ज) वह किसी पंचायत के दान या अधिकार में कोई वैतनिक पद या लाभ का पद, इस प्रकार विहित पद या स्थान से भिन्न, धारित करता है ;

(झ) उसका, पंचायत के आदेश से किए गए किसी कार्य में, या पंचायत के अधीन या उसके साथ नियोजन या उसके द्वारा या उसकी ओर से, या उसके साथ किसी संविदा में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कोई हिस्सा या हित है।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पंचायत की सदस्यता से केवल इस कारण से ही निरर्हित नहीं होगा कि,—

(i) ऐसे व्यक्ति का ऐसी किसी संयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयर है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी किसी सोसाइटी में कोई शेयर या हित है, जो किसी पंचायत के साथ संविदा करेगी या उसके द्वारा या उसकी ओर से नियोजित होगी ;

(ii) ऐसे व्यक्ति का किसी ऐसे समाचारपत्र में कोई शेयर या हित है, जिसमें किसी पंचायत के कार्यों से संबंधित विज्ञापन निकाल सकते हैं ;

(iii) ऐसा व्यक्ति, किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से उठाए गए ऋण में कोई डिबेंचर धारित करता है या उससे अन्यथा संबंधित है ;

(iv) ऐसा व्यक्ति, किसी पंचायत की ओर से विधि व्यवसायी के रूप में वृत्तिक रूप से संबद्ध है ;

(v) ऐसा व्यक्ति, अचल संपत्ति के किसी पट्टे में, जिसमें ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा या अपने स्वयं की दशा में जिला पंचायत द्वारा किराए की राशि अनुमोदित की गई है या अचल संपत्ति के किसी विक्रय या क्रय में या ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के किसी करार में, कोई शेयर या हित रखता है ;

(vi) ऐसा व्यक्ति, किसी पंचायत को किसी वस्तु के, जिसमें वह नियमित रूप से व्यापार करता है, यदा-कदा किए जाने वाले विक्रय में, या किसी पंचायत से किसी वस्तु के क्रय में, कोई शेयर या हित रखता है जिसका मूल्य, किसी भी मामले में, किसी वर्ष में एक हजार रुपये से अनधिक है ; या

(vii) ऐसा व्यक्ति, पंचायत की ओर से या उसके द्वारा या उसके अधीन या उसके साथ नियोजित किसी व्यक्ति का मात्र रिश्तेदार है ;

(ज) उसका, किसी पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से उधार लिए गए या उसे अग्रिम दिए गए ऋण के किसी संव्यवहार में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कोई हिस्सा या हित है ;

(ट) वह, उसके द्वारा पंचायत या किसी पंचायत अधीनस्थ को देय किसी भी प्रकार के किसी बकाए का या इस विनियम के अधीन उससे वसूलनीय किसी रकम का, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसरण में उसे विशेष नोटिस तामील किए जाने के पश्चात्, तीन मास के भीतर संदाय करने में असफल रहता है।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) कोई व्यक्ति निरर्हित नहीं समझा जाएगा, यदि अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए विहित दिन से पूर्व, उसने खंड (ट) में निर्दिष्ट रकम या बकाया का भुगतान कर दिया है ;

(ii) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा या किसी समूह या इकाई से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके सदस्य संपदा या निवास में रीति-रिवाज द्वारा संयुक्त हैं, पंचायत को खंड (ट) में निर्दिष्ट रकम या बकाया के भुगतान में असफलता से, यथास्थिति, ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंब के सभी सदस्यों या ऐसे समूह या इकाई के सभी सदस्यों को निरर्हित समझा जाएगा।

(उ) वह सरकार या किसी स्थानीय निकाय का सेवक है ;

(ड) उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य की राजभक्ति या निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ;

(ढ) उसके साधारण तौर पर निवास वाले स्थान पर जल शौचालय या शौचालय सुविधा नहीं है ;

परंतु आसीन सदस्य को निरर्हता उपगत हुई समझी जाएगी, यदि वह, इस विनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, उस ग्राम पंचायत के, जिसकी अधिकारिता में उसका साधारण तौर पर निवास स्थान अवस्थित है, पंचायत सचिव द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि उसके साधारण तौर पर निवास स्थान पर जल शौचालय या शौचालय सुविधा उपलब्ध है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है।

(ण) वह इस विनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन निरर्हित है, और वह अवधि, जिसके लिए वह निरर्हित है, व्यपगत नहीं हुई है ;

(त) उसके दो से अधिक बच्चे हैं :

परंतु यदि किसी व्यक्ति के इस विनियम के प्रारंभ की तारीख को दो से अधिक बच्चे हैं, तो वह इस खंड के लिए तब तक निरर्हित नहीं होगा, जब तक उसके बच्चों की संख्या, जो ऐसे प्रारंभ की तारीख को उसके थे, नहीं बढ़ती है :

परंतु यह और कि ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एकल प्रसव में जन्मा एक बच्चा या एक से अधिक बच्चों को, इस खंड के अधीन निरर्हता के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) जहां किसी दंपत्ति के ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् केवल एक बच्चा है, पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से जन्मे कितने भी बच्चों को एकल इकाई के रूप में माना जाएगा ;

(ii) “बच्चा” में कोई दत्तक बच्चा या बच्चे सम्मिलित नहीं हैं;

(थ) वह ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है ;

(द) उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन सद्व्यवहार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है ; या

(ध) उसे मतदान की तारीख से पूर्व पांच वर्ष के भीतर अवचार के लिए, सरकार या नगरपालिका या ग्राम पंचायत की सेवा से पदच्युत किया गया है ।

(2) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होने से निरर्हित होगा, यदि पांचवी अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित किया गया है ।

15. निरर्हता पर विनिश्चय—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति धारा 4 या धारा 14 में यथानिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तो उसको प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु प्रशासक, ऐसे किसी प्रश्न पर कोई विनिश्चय करने से पूर्व, निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा :

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति तब तक निरर्हित नहीं होगा, जब तक उसे मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

16. अनुपस्थिति की अनुमति—(1) ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, जो अपनी पदावधि के दौरान,—

(क) ग्राम से तीन क्रमागत महीनों से अधिक अनुपस्थित है और पंचायत द्वारा इस प्रकार अनुपस्थित रहने के लिए चार मास से अनधिक की अनुमति प्रदान की गई है ; या

(ख) उक्त पंचायत की अनुमति के बिना पंचायत के अधिवेशनों से चार क्रमागत महीनों के लिए स्वयं को अनुपस्थित रखता है,

सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा तथा तत्पश्चात्, पंचायत, यथाशीघ्र, उसे सूचित करेगी कि रिक्ति हो गई है ।

(2) इस बारे में कि क्या इस धारा के अधीन कोई रिक्ति हुई है या नहीं, कोई विवाद विनिश्चय के लिए सचिव पंचायत को निर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसे सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु ऐसा निर्देश ग्रहण नहीं किया जाएगा, यदि वह उस तारीख से, जिसको पंचायत उपधारा (1) के अधीन सदस्य को

ऐसी रिक्ति के संबंध में सूचित करती है, पन्द्रह दिन के अवसान के पश्चात् किया जाता है ।

(3) जब कभी, उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे सदस्य को, जो उपसरपंच है, अनुमति प्रदान की जाती है, तो अन्य सदस्य, ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जिसके अधीन ऐसे स्वयं को अनुपस्थित रखने वाले उपसरपंच का निर्वाचन किया गया था, ऐसी अवधि, जिसके लिए ऐसी अनुमति प्रदान की गई है, के दौरान उपसरपंच के सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए और उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा ।

17. सदस्यों का निर्वाचन—किसी ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति (जिसके अंतर्गत मतदान की रीति भी है) से किया जाएगा, जो विहित की जाए और ऐसी तारीख या तारीखों को किया जाएगा, जो प्रशासक, निर्वाचन आयोग के परामर्श से अधिसूचना द्वारा निदेश की जाए :

परंतु कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से छह मास की तारीख की अवधि के भीतर भरी जाएगी :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी ग्राम पंचायत के साधारण निर्वाचन के पूर्व छह मास के भीतर हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं किया जाएगा ।

18. उपसरपंच का निर्वाचन—(1) इस विनियम के अधीन पहली बार किसी ग्राम पंचायत के गठन पर या ग्राम पंचायत की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पुनर्गठन पर, उपसरपंच का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निर्वाचन करने के लिए प्रशासक द्वारा नियत तारीख को एक अधिवेशन बुलाया जाएगा ।

(2) प्रशासक द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी, ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) ऐसे अधिवेशन में उपसरपंच के निर्वाचन से भिन्न कोई कामकाज नहीं किया जाएगा ।

(4) मत बराबर रहने की दशा में निर्वाचन का परिणाम, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी की उपस्थिति में, ऐसी रीति से, जो वह अवधारित करे, लॉट से ड्रा द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

19. सरपंच के कार्यपालिका संबंधी कृत्य—इस विनियम के अधीन ग्राम पंचायत की कार्यपालिका संबंधी शक्ति और इस विनियम के अधीन ग्राम पंचायत पर अधिरोपित कर्तव्यों की सम्यक् पूर्ति और ग्राम पंचायत के संकल्प को कार्यान्वित करने का दायित्व सरपंच में निहित होगा ।

20. ग्राम पंचायत का कार्यकाल—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे

पहले विघटित नहीं कर दिया जाता है, अपने पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस विनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पहले कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के सदस्य उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(3) किसी ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए निर्वाचन—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा ;

(ख) उसके विघटित होने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा :

परंतु जहां ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए विघटित ग्राम पंचायत जारी रखी जाएगी, छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए ग्राम पंचायत के गठन के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी पंचायत के उसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व विघटन के आधार पर गठित कोई ग्राम पंचायत, केवल ऐसी शेष अवधि के लिए ही जारी रहेगी, जिसके लिए विघटित ग्राम पंचायत, यदि वह ऐसे विघटित न होती तो, उपधारा (1) के अधीन जारी रहती।

21. पद की शपथ.—(1) ग्राम पंचायत के पहले अधिवेशन के पश्चात्, उसका प्रत्येक सदस्य और सरपंच तथा उपसरपंच, यथाशीघ्र ऐसे अधिकारियों के समक्ष, जो प्रशासक विनिर्दिष्ट करे, पहली अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में पद की शपथ लेगा।

(2) ऐसा कोई सदस्य, जिसने ऐसी शपथ नहीं ली है, किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों में न तो मतदान करेगा या भाग लेगा और न ही उसे ग्राम पंचायत द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

22. पद से त्यागपत्र—(1) ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन सरपंच को इस प्रभाव की लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र सरपंच द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) उपसरपंच, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन सरपंच को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, सरपंच द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(3) सरपंच, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा

त्यागपत्र, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) जहां सरपंच या उपसरपंच का पद रिक्त है, वहां ग्राम पंचायत के सदस्य, यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से साधारण बहुमत द्वारा किसी व्यक्ति को, ऐसे पदों के लिए निर्वाचन लंबित रहने तक निर्वाचित कर सकेंगे।

23. अविश्वास प्रस्ताव—(1) सरपंच या उपसरपंच के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन ऐसे सरपंच को उसकी सूचना देकर लाया जा सकेगा :

परंतु ऐसी कोई सूचना, सरपंच या उपसरपंच द्वारा पद ग्रहण करने के छह मास के पूर्व नहीं दी जाएगी।

(2) ग्राम पंचायत का विशेष अधिवेशन, उस तारीख से, जिसको अविश्वास प्रस्ताव विचार-विमर्श करने के लिए लाया गया है, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर बुलाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव का विनिश्चय किया जाएगा।

(3) यदि अविश्वास प्रस्ताव, ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा लाया जाता है तो ग्राम पंचायत, यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच को उसके पद से हटाए जाने के लिए ग्राम सभा से सिफारिश करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सिफारिश के प्राप्त होने पर ग्राम सभा का अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें ग्राम सभा की कुल सदस्यता के एक तिहाई से अन्यून की गणपूर्ति होगी और सिफारिश का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सिफारिश का अनुमोदन किए जाने पर सरपंच, सिवाय इसके कि वह पहले त्यागपत्र दे, उस तारीख से, जिसको सिफारिश का अनुमोदन किया जाता है, तीन दिन की अवधि के पश्चात् पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(6) यदि ग्राम पंचायत की सिफारिश का उपधारा (4) के अधीन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है या ग्राम सभा के विशेष अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध उस तारीख से, जिसको सिफारिश पर ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं मिलता है या उस तारीख से, जिसको गणपूर्ति के अभाव में सिफारिश पर विचार नहीं किया जा सका है, छह मास की अवधि के भीतर नए सिरे से कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(7) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा सरपंच या उपसरपंच, जिसको हटाए जाने के लिए उपधारा (3) के अधीन अविश्वास प्रस्ताव या सिफारिश विचाराधीन है,

उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत के और उपधारा (4) के अधीन ग्राम सभा के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, किंतु उसे ऐसे अधिवेशन की कार्यवाहियों में बोलने या उससे अन्यथा उनमें भाग लेने का अधिकार होगा।

24. ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच या किसी सदस्य का निलंबन—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच या किसी सदस्य को, आदेश द्वारा, निलंबित कर सकेगा, जिसके विरुद्ध किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्बलित है, के संबंध में कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है या वह किसी अपराध के लिए विचारण के दौरान कारागार में निरुद्ध किया गया है या जो कारावास का ऐसा दंडादेश भुगत रहा है, जो उसे धारा 14 के अधीन पंचायत के सदस्य के रूप में रहने के लिए निरर्हित नहीं करता है या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरुद्ध नहीं किया गया है।

(2) जहां कोई सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य, उपधारा (1) के अधीन निलंबित किया जाता है, वहां ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य को, ऐसे निर्वधनों के अधीन रहते हुए, जिसके अधीन इस प्रकार निलंबित सरपंच या उपसरपंच या अन्य सदस्य का निर्वाचन किया गया था, ऐसी अवधि के दौरान, जिसके दौरान ऐसा निलंबन जारी रहता है, किसी सरपंच या उपसरपंच या अन्य सदस्य के सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए और उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी।

25. पद से हटाया जाना—(1) पंचायत सचिव, पंचायत के किसी सदस्य को या, यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच को, उसे इस संबंध में सम्यक् सूचना देने और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि ऐसा सदस्य, यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का या किसी निष्कृष्ट आचरण का दोषी है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है या इस विनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में लगातार व्यतिक्रम करता है या इस विनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में असमर्थ हो गया है और इस प्रकार हटाया गया, यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच, सचिव पंचायत के विवेकानुसार, पंचायत की सदस्यता से भी हटा दिया जाएगा :

परंतु किसी भी सदस्य, सरपंच या उपसरपंच को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक ऐसे व्यक्ति को मामले में सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो।

(2) सचिव पंचायत, उपधारा (1) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को, जिसने सदस्य, सरपंच या उपसरपंच के रूप में अपना पद त्याग दिया है या अन्यथा अपना ऐसा पद धारित करना बंद कर दिया है या जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवचार का दोषी हो गया है या अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में असमर्थ हो गया है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए निरर्हित कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाई उस तारीख से, जिसको व्यक्ति त्यागपत्र देता है या कोई ऐसा पद धारित करना बंद कर देता है, छह मास की अवधि के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सचिव पंचायत के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील कर सकेगा।

26. आकस्मिक रिक्ति— ग्राम पंचायत में सरपंच या उपसरपंच के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति, उसकी शेष अवधि के लिए इस विनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी :

परंतु यदि सरपंच का कोई स्थान या पद अनुसूचित जनजाति या स्त्रियों के लिए आरक्षित है तो अनुसूचित जनजाति के सदस्य या स्त्री से भिन्न कोई व्यक्ति, ऐसी रिक्ति के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा।

27. ग्राम पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव होगा, जिनकी नियुक्ति प्रशासक द्वारा की जाएगी और वह ग्राम पंचायत निधि से उतने वेतन और भत्ते लेगा, जितने विहित किए जाएं।

(2) पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यालय का भारसाधक होगा और वह ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी सभी शक्तियों का पालन करेगा, जो इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन उसको अधिरोपित या प्रदत्त किए जाएं।

(3) पंचायत सचिव, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो प्रशासक द्वारा अनुशासन और नियंत्रण के संबंध में बनाए जाएं, सरपंच के साधारण अधीक्षण के अधीन सभी मामलों में कार्यवाई करेगा, जिसके माध्यम से वह ग्राम पंचायत के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) ग्राम पंचायत, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को और उतनी संख्या में, जो समय-समय पर,

प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से आवश्यक हो, और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नियुक्ति कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए किसी बजट का उपबंध नहीं किया गया है और जिसका प्रशासक द्वारा अनुमोदित कर्मचारीवृंद पद्धति में उपबंध नहीं किया गया है।

(5) उपधारा (4) के अधीन भर्ती किए गए कर्मचारीवृंद की तैनाती और स्थानांतरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।

(6) पंचायत सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा कर्तव्य और अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

28. ग्राम पंचायत के अधिवेशन—(1) ग्राम पंचायत के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(2) किसी ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, किसी अधिवेशन में, किसी संकल्प का प्रस्ताव कर सकेगा और ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंधित विषयों पर सरपंच या उपसरपंच से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रश्न कर सकेगा।

(3) ग्राम पंचायत के किसी संकल्प को, ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित किसी संकल्प के सिवाय, उसके पारित किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द नहीं किया जाएगा।

29. समितियां—(1) ग्राम पंचायत, ऐसे नियंत्रण और निर्वहणों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने ऐसे कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, निम्नलिखित समितियां नियुक्त कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) कार्यकारी समिति ;

(ख) लोक स्वास्थ्य समिति ;

(ग) लोक निर्माण समिति ;

(घ) शैक्षणिक समिति ;

(ङ) उत्पादन, सहयोग और सिंचाई समिति ;

(च) सामाजिक न्याय समिति ; और

(छ) स्त्रियां, बाल विकास और युवा गतिविधि के लिए समिति।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति पांच से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और उसे ऐसे कारणों से और

ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विघटित या पुनर्गठित किया जा सकेगा।

(3) समितियों की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होंगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपनी किसी समिति द्वारा लिए गए किन्हीं विनिश्चयों को रद्द करने, पुनरीक्षित करने या उपांतरित करने की शक्तियां होंगी।

30. कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—किसी ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी।

अध्याय 4

ग्राम पंचायत की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य

31. ग्राम पंचायत के कर्तव्य और कृत्य—(1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह, जहां तक ग्राम निधि का संबंध है, दूसरी अनुसूची विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में अपनी अधिकारिता के भीतर युक्तियुक्त उपबंध करें।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत को ऐसे विकास और सामाजिक न्याय के लिए, जिसके अंतर्गत दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में मामले भी हैं, योजनाएं बनाने और स्कीमों को कार्यान्वित करने की शक्तियां और उत्तरदायित्व होंगे।

32. कतिपय संपत्तियों पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण—

(1) ग्राम पंचायत, धारा 37 के अधीन प्रशासन द्वारा उसके निदेशन, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रखी गई सभी सड़कों, मार्गों, पुलों, पुलियाओं और अन्य संपत्तियों के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके रखरखाव और मरम्मत के लिए और विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के संबंध में सभी आवश्यक कार्य कर सकेगी,--

(क) किसी ऐसी सड़क, पुल या पुलिया को चौड़ा करने, खोलने, बढ़ाने या अन्यथा कोई सुधार करने और ऐसी सड़कों के किनारों पर वृक्ष लगाना और संरक्षित करना ;

(ख) धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित किसी जल-सरणी और अन्य संपत्ति को गहरा करना या अन्यथा कोई सुधार करना ; और

(ग) ऐसी किसी सार्वजनिक सड़क या मार्ग और भवन पर प्रक्षेपित किसी झाड़ी या टहनी अथवा किसी वृक्ष को काटना।

(2) ग्राम पंचायत का ऐसी सभी सड़कों, मार्गों, जल-मार्गों, पुलों और पुलियाओं पर भी नियंत्रण होगा, जो उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित हैं, जो प्राइवेट संपत्ति नहीं हैं या जो तत्समय सरकार के नियंत्रणाधीन संपत्ति नहीं हैं, और

उनके तथा विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के सुधार, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवश्यक कार्य कर सकेगी —

(क) नई सड़कों का अभिन्यास और बनाना ; और

(ख) नए पुलों और पुलियों का संनिर्माण ।

33. ग्राम पंचायत को किसी संकर्म या संस्था का अंतरण—प्रशासक, ग्राम पंचायत को, प्रशासन या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किसी संकर्म का निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत अथवा किसी संस्था का प्रबंधन्यस्त कर सकेगा :

परंतु प्रशासन या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जो प्रशासक द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसे संकर्म के निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत के लिए अथवा ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए आवश्यक निधियां ग्राम पंचायत के प्रबंधाधीन होंगी ।

34. राजस्व का संग्रहण—(1) प्रशासक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट स्कीम के अधीन वसूलनीय करों, भू-राजस्व और अन्य शोध्यों के संग्रहण करने के कार्य और कर्तव्य, ग्राम पंचायत को न्यस्त कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत को कोई कार्य या कर्तव्य न्यस्त किए जाते हैं, वहां प्रशासक ऐसी ग्राम पंचायत को ऐसी दरों पर, जो विहित की जाए, संग्रहण प्रभारों का संदाय करेगा ।

35. गांव स्वयंसेवक बल—(1) इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कोई ग्राम पंचायत, गांव में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों, जिनकी आयु अठारह वर्ष से अधिक है और जो ऐसे बल में संयोजित होने के लिए रजामंद है, के समर्थ निकाय को मिलाकर, एक गांव स्वयंसेवक बल के नाम से ज्ञात बल का गठन कर सकेगी और ऐसे बल को किसी उपयुक्त व्यक्ति के समादेश के अधीन रखा जाएगा ।

(2) गांव स्वयंसेवक बल की सेवाएं साधारण पहरा और निगरानी के प्रयोजन के लिए तथा अग्नि, बाढ़, महामारी के प्रादुर्भाव या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति में उपयोजित की जा सकेंगी ।

(3) गांव स्वयंसेवक बल का कोई सदस्य, ऐसे बल के किसी सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण हुई नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा ।

36. संविदाओं का निष्पादन—किसी ग्राम पंचायत द्वारा की गई प्रत्येक संविदा या करार पर सरपंच और पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस पर ग्राम पंचायत की सामान्य मुद्रा मुद्रांकित की जाएगी ।

37. ग्राम पंचायत से शक्तियों, कृत्यों आदि का उपांतरण—किसी ग्राम पंचायत को किसी मामले के संबंध में

किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के उपांतरण के किसी बात के होते हुए भी, जहां प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि प्रकृति में परिवर्तन के कारण, मामला दूसरी अनुसूची का मामला नहीं रह गया है, और यह कि ऐसे मामले के संबंध में पंचायत की शक्तियां, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रत्याहृत करना आवश्यक है, जो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शक्तियां, कृत्य या कर्तव्यों को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, प्रत्याहृत करेगा, और ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो मामले में किए जाने आवश्यक हैं, जिसमें पंचायत में निहित संपत्ति, अधिकार और दायित्वों, यदि कोई हो, और कर्मचारी, यदि कोई हो, जो पंचायत को स्थानान्तरित किए गए हैं, को अधिकार में लेना भी सम्मिलित है ।

अध्याय 5

वित्त, संपत्ति और लेखे

38. ग्राम निधि—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक "ग्राम निधि" होगी और उसका उपयोजन, इस विनियम द्वारा ग्राम पंचायत पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा ।

(2) ग्राम निधि में निम्नलिखित से प्राप्त जमा किया जाएगा, और वे उसका भाग होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 41 के अधीन अधिरोपित किसी कर या फीस के आगम ;

(ख) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा किए गए अभिदाय ;

(ग) किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आदेशित ग्राम निधि में जमा की जाने वाली सभी राशियां ;

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों से आय, जिसमें ग्रामनिधि ने विनिधान किया है ;

(ङ) भू-राजस्व के संग्रहण या प्रशासन से उसी प्रकार के अन्य अनुदानों में हिस्सा ;

(च) ऋण या दान द्वारा प्राप्त सभी राशियां ;

(छ) ग्राम पंचायत के प्रबंध के अधीन मत्स्य उद्योग और अन्य सेक्टरों से व्युत्पन्न आय ;

(ज) ग्राम पंचायत की किसी संपत्ति से या आगम से आय ;

(झ) ग्राम पंचायत के कृत्यकारियों द्वारा संगृहीत संपूर्ण धूल, गंदगी, गोबर या कूड़ा-करकट के विक्रय आगम ;

(ञ) प्रशासन के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम निधि को समनुदेशित राशि ; और

(ट) ग्राम निधि से अनुरक्षित या वित्त पोषित अथवा ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्थित किसी संस्था या सेवा की

सहायता के लिए या उस पर व्यय करने के लिए प्राप्त सभी राशियां।

(3) ग्राम निधि की रकम इस विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएगी और ऐसी अभिरक्षा में और ऐसी रीति में रखी जाएगी, जो विहित की जाए।

39. अनुदान—प्रशासक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, साधारण प्रयोजनों के लिए या गांव के सुधार और उसके निवासियों के कल्याण के लिए ग्राम पंचायत को अनुदान दे सकेगा।

40. ग्राम पंचायत के व्ययन, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रखी गई संपत्तियां— (1) प्रशासक, यदि वह ठीक समझे, नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति की और ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर स्थित सभी या किन्हीं संपत्तियों को, ग्राम पंचायत के निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रख सकेगा, अर्थात् :—

(i) ऐसा खुला स्थान, बंजर, खाली और चरागाह भूमि, जो प्राइवेट संपत्ति और नदी तट नहीं है ;

(ii) सार्वजनिक सड़कों और मार्ग ;

(iii) सार्वजनिक नहरें, जल मार्ग, कुएं, तालाब, टैंक (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई के टैंकों को छोड़कर), सार्वजनिक जलाशय (सरकार के नियंत्रणाधीन जल उपचार संयंत्रों को छोड़कर), कुंड, झरने, कृत्रिम जल प्रणाल और सार्वजनिक टैंक या तालाब से लगी हुई कोई सन्निकट भूमि (जो प्राइवेट संपत्ति नहीं है) और उससे संबंधित भूमि ;

(iv) सार्वजनिक मल प्रणाल, नाली, जल निकास संकर्म, सुरंग और पुलिया तथा उससे संबंधित वस्तुएं और अन्य सफाई संकर्म ;

(v) गंदा पानी, कूड़ा-करकट और बदबूदार पदार्थ, जो सड़क पर जमा हो जाता है या ग्राम पंचायत द्वारा सड़कों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल प्रणाली होदियों और अन्य स्थानों से संगृहीत किया जाता है ; और

(vi) सड़क की बत्तियां, सार्वजनिक लैंप, बिजली के खंभे और उनसे संबंधित या उनसे सहबद्ध साधित्र ;

(vii) सार्वजनिक पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, बूचरखाने, मत्स्य फार्म, शमशान घाट, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र ; और

(viii) सड़क किनारे के वृक्ष, ईंधन वाली लकड़ी के पौधे लगाना, गैर परंपरागत ऊर्जा के उपकरण।

(2) सभी बाजार और हाट या उसके ऐसे भाग, जो सार्वजनिक भूमि के ऊपर है, ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रित और विनियमित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत, धारा 38 की

उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्राम निधि में जमा, उसकी बाबत उद्गृहीत या अधिरोपित सभी देय प्राप्त करेगी।

41. कर, जो अधिरोपित किए जा सकेंगे—(1) इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कोई ग्राम पंचायत, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित का उद्ग्रहण कर सकेगी,—

(क) भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों से कर ;

(ख) व्यापार, आह्वान और नियोजन पर कर ;

(ग) ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर रखे गए यंत्र नोदित यानों से भिन्न यानों पर कर ;

(घ) ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर पशुओं के विक्रय पर कर ;

(ङ) मनोरंजन और मनोविनोद पर थियेटर या प्रदर्शन कर ;

(च) बिजल कर ;

(छ) जल निकासी कर ;

(ज) उसकी अधिकारिता के भीतर तीर्थयात्रियों के पूजा, हाटों और मेलों के ऐसे स्थानों पर सफाई-व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए फीस ;

(झ) बाजारों, मेलों, हाटों और त्यौहारों में माल के विक्रय के लिए फीस ;

(ञ) ग्राम पंचायत के नियंत्रणाधीन चारागाह भूमि पर पशुओं के चरने के लिए फीस ;

(ट) ग्राम पंचायत में फसलों की चौकसी और निगरानी की व्यवस्था करने के लिए फीस ;

(ठ) सार्वजनिक नौका चलाने के लिए अनुज्ञप्ति फीस ;

(ड) ऐसे अन्य कर, जो प्रशासक द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर और फीस, ऐसी रीति में और ऐसे समयों पर, जो विहित किया जाए, अधिरोपित, निर्धारित और वसूली जाएंगी।

42. कर आदि के उद्ग्रहण के विरुद्ध अपील—धारा 41 के अधीन किसी कर या फीस के निर्धारण, उद्ग्रहण या अधिरोपण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा कर या फीस अधिरोपित करने के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर पंचायत सचिव को अपील कर सकेगा और इन मामलों में दूसरी अपील मुख्य कार्यपालक अधिकारी को की जाएगी।

43. कर या फीस के उद्ग्रहण का निलंबन—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आदेश द्वारा, धारा 41 के अधीन किसी कर या फीस के उद्ग्रहण या अधिरोपण को निलंबित कर सकेगा और ऐसे निलंबन को किसी भी समय उसी रीति में विखंडित कर सकेगा।

44. बाजार फीस आदि के संग्रहण का पट्टा—किसी ग्राम पंचायत के लिए विनिर्दिष्ट मंडी और बजारों पर, किसी फीस के संग्रहण के लिए, यदि ऐसी फीस धारा 38 के अधीन अधिरोपित की जाती है, सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् पट्टा करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु ऐसे पट्टेदार को, पट्टे या संविदा की शर्तों की सम्यक् पूर्ति के लिए प्रतिभूति देनी होगी।

45. करो और अन्य देयों की वसूली—(1) जब किसी ग्राम पंचायत को शोध्य कोई कर या फीस या अन्य राशि संदेय होती है, तब ग्राम पंचायत, यथासाध्य न्यूनतम विलंब के साथ उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति को, उस पर शोध्य रकम के संदाय के लिए, विहित प्ररूप में एक मांग सूचना भेजेगी और उससे, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर रकम का संदाय करने की अपेक्षा करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मांग सूचना की ऐसी रीति में तामील की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) यदि ऐसी राशि, जिसके लिए मांग सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो ग्राम पंचायत, भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मामलतदार या किसी अन्य अधिकारी को आवेदन कर सकेगी।

46. लेखे—प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अपनी प्राप्तियों और व्यय के लेखे रखेगी।

47. व्यय का वार्षिक प्राङ्गलन—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक वर्ष में ऐसे समय पर, और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस वर्ष के लिए विकास योजना तैयार करेगी और जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(2) जब तक प्रशासक द्वारा बजट का अनुमोदन नहीं किया जाता है तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

48. संपरीक्षा—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लेखाओं की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिवर्ष संपरीक्षा की जाएगी।

(2) संपरीक्षा, विहित प्राधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसको प्रशासक द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए और विहित प्राधिकारी या अन्य अधिकारी, संपरीक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ग्राम पंचायत को अग्रेषित करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी किसी मद को अनुज्ञात कर सकेगा, जो

उसको विधि के प्रतिकूल प्रतीत होती है और उसको, अवैध संदाय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिभारित कर सकेगा और--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति, किसी ग्राम पंचायत का सदस्य है तो धारा 53 की उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है तो व्यक्ति से स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा और ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिभारित रकम का ग्राम पंचायत को संदाय करने का निदेश देगा और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त रकम संदत्त नहीं की जाती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी भू-राजस्व के बकाए के रूप में उसे वसूल करवाएगा और उसको धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्राम निधि में जमा किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, सचिव पंचायत को अपील कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) ग्राम पंचायत द्वारा किए गए मुख्य संकर्मों की सामाजिक संपरीक्षा ऐसे आयोजित की जाएगी, जो पंचायत निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट, जब कभी निष्पादित की जाए, पंचायत निदेशक द्वारा अपने टिप्पणियों सहित प्रशासक को प्रस्तुत की जाएगी।

49. प्रशासनिक रिपोर्ट—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, प्रतिवर्ष पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत के प्रशासन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट, सरपंच और पंचायत सचिव द्वारा तैयार की जाएगी और ग्राम पंचायत द्वारा उसको अनुमोदित किए जाने के पश्चात्, उस पर ग्राम पंचायत के संकल्प की प्रति के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

(3) ग्राम पंचायत की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में, उस ग्राम पंचायत के बारे में आधारभूत सांख्यिकी आंकड़ों और कार्यों, वित्त और कृत्यकारियों के न्यागमन से संबंधित आंकड़ों और उनके कर्तव्यों, कृत्यों तथा बाध्यताओं के अनुपालन के साथ परिचयात्मक खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत निदेशक के माध्यम से अपनी टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट प्रशासक को अग्रेषित करेगा।

अध्याय 6

ग्राम पंचायत का नियंत्रण

50. कार्यवाहियों, आदि की मांग करने की शक्ति—मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पंचायत निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को निम्नलिखित की शक्ति होगी,—

(क) (i) किसी ग्राम पंचायत की कार्यवाही से या किसी ग्राम पंचायत के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन किसी बही, अभिलेख, पत्र व्यवहार या दस्तावेजों से कोई उद्धरण मांगने की;

(ii) निरीक्षण या परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी विवरणी, योजना, प्राक्कलन, लेख या रिपोर्ट मांगने की ;

(ख) किसी ग्राम पंचायत से, —

(i) किसी ऐसे आक्षेप पर, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक को, किसी ऐसी बात के किए जाने का, जिसको ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है या किया गया है, विद्यमान होना प्रतीत होता है, विचार करने हेतु अपेक्षा करने की ; या

(ii) किसी ऐसी सूचना पर, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक को देने के लिए समर्थ है और जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक को, ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय बातों को करने के लिए अनिवार्य प्रतीत होती है और, यथास्थिति, उक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक को ऐसी बात करने से प्रविरत रहने के लिए अपने कारणों का कथन करते हुए युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित उत्तर देने के लिए विचार करने हेतु अपेक्षा करने की ।

51. ग्राम पंचायत द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम—(1) यदि किसी समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने इस विनिमय द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में जानबूझकर और लगातार व्यतिक्रम किया है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, पंचायत निदेशक को सूचना के अधीन उस कर्तव्य के अनुपालन के लिए अवधि नियत कर सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्य का, इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है तो कार्यपालक अधिकारी, उसको किए जाने के लिए किसी सरकारी अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे कर्तव्य के अनुपालन के व्यय, व्यतिक्रमी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ठीक समझे, संदत्त किए जाएंगे ।

52. पंचायत के संकल्प पर आदेश निष्पादन का निलंबन—(1) यदि, पंचायत सचिव की राय में ग्राम पंचायत के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या कोई ऐसी बात, जो ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से की जानी है या की गई है,

का किया जाना मानव जीवन, स्वास्थ्य और लोक सुरक्षा के लिए खतरा है या उससे खतरा होने की संभावना है, या वह शांति भंग करने वाली है या अवैध है, तो वह उसको, तुरंत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जानकारी में लाएगा, जो निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या लिखित में उसका किया जाना प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी कोई आदेश करता है तो वह तुरंत, आदेश की एक प्रति, उसको करने के कारणों के कथन के साथ, उसके द्वारा प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायत को भेजेगा ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तुरंत सचिव पंचायत को, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस धारा के अधीन आदेश किया गया था और सचिव पंचायत ग्राम पंचायत को सूचना देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, आदेश को विखंडित, उपांतरित या पुष्ट कर सकेगा ।

(4) धारा 50, धारा 51 और इस धारा के अधीन की गई सभी कार्यवाहियों या किए गए सभी आदेशों की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रशासक को भेजी जाएगी ।

53. हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए सदस्यों का दायित्व—(1) ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य, ग्राम पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा, जिसको ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उसके अवचार या अपने कर्तव्य की जानबूझकर ऐसी उपेक्षा द्वारा, जो कपट की कोटि में आती है, किया गया है या सुकर बनाया गया है ।

(2) यदि संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य को प्रतिकूल कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् पंचायत सचिव का समाधान हो जाता है कि ग्राम पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन, ऐसे सदस्य के अवचार या उसकी ओर से जानबूझकर की गई उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है तो वह लिखित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जो ऐसे सदस्य को किसी नियत तारीख के पूर्व, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए ग्राम पंचायत को उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का संदाय करने का निदेश देगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की सदभावपूर्ण या तकनीकी अनियमितता या भूल के लिए नहीं किया जाएगा ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम का इस प्रकार संदाय नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी उसको भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल करेगा और उसको धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्राम निधि में जमा करेगा ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कोई आदेश, पंचायत सचिव को अपील किए जाने के अधीन होगा, यदि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाती है।

54. व्यतिक्रम के लिए ग्राम पंचायत का विघटन या निलंबन—(1) यदि प्रशासक की राय में, कोई ग्राम पंचायत, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है या इस विनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों या इस पर न्यस्त कर्तव्यों या कर्तव्यों का पालन करने में लगातार व्यतिक्रम करती है या इस विनियम के अधीन इससे ज्येष्ठ ग्राम पंचायत द्वारा या प्रशासक या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस विनियम के अधीन किए गए आदेश का पालन करने में असफल रहती है या किन्हीं ऐसे आदेशों की लगातार अवज्ञा करती है, तो प्रशासक, ग्राम पंचायत को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात्, राजपत्र में आदेश द्वारा,—

(i) ऐसी ग्राम पंचायत को विघटित कर सकेगा ; या

(ii) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी ग्राम पंचायत को अधिकांत कर सकेगा :

परंतु ऐसी अवधि छह मास से या ऐसी ग्राम पंचायत की अवशिष्ट कालावधि, जो भी कम हो, से अधिक लंबी नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्रशासक, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन रहते हुए, समय-समय पर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी ग्राम पंचायत को अधिकांत करने की अवधि का, ऐसी तारीख तक, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, विस्तार कर सकेगा या इसी प्रकार के आदेश द्वारा ऐसे अधिकांत करने की अवधि को कम कर सकेगा।

(2) जब ग्राम पंचायत विघटित या अधिकांत होती है, तब ग्राम पंचायत के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(3) जब ग्राम पंचायत विघटित या अधिकांत होती है, तब इसका पुनर्गठन इस विनियम में उपबंधित रीति में किया जाएगा।

(4) यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित या अधिकांत होती है,—

(क) ग्राम पंचायत की, यथास्थिति, विघटन या अतिक्रमण की अवधि के दौरान, सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें प्रशासक, समय-समय पर, इस निमित्त नियुक्त करें ;

(ख) ग्राम पंचायत में निहित सभी संपत्ति, यथास्थिति, विघटन या अतिक्रमण की अवधि के दौरान, प्रशासक में निहित होगी ; और

(ग) ग्राम पंचायत का, यथास्थिति, विघटित होने पर या अतिक्रमण की अवधि के अवसान पर, पुनर्गठन इस विनियम में उपबंधित रीति में किया जाएगा और पद रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनःनिर्वाचन के पात्र होंगे।

55. ग्राम पंचायतों के मध्य विवाद—(1) यदि दो या अधिक ग्राम पंचायतों के मध्य कोई विवाद उद्भूत होता है तो उसको धारा 80 के अधीन नियुक्त पंचायत की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यदि संयुक्त समिति समस्या का समाधान करने में असमर्थ रहती है तो उसे सचिव पंचायत को निर्दिष्ट किया जाएगा और सचिव पंचायत का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

56. प्रशासक या सचिव पंचायत द्वारा कार्यवाहियों का मांगा जाना—प्रशासक या सचिव पंचायत, किसी पारित आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों का अभिलेख मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा आदेश को ऐसे पुनरीक्षित या उपांतरित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु किसी भी आदेश के पुनरीक्षण या उपांतरण के लिए प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध, संबंधित ग्राम पंचायत को कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना इस प्रकार कोई आदेश पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 7

जिला पंचायत

57. जिला पंचायत—प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, संघ राज्यक्षेत्र में जिलों के लिए, जिला स्तर पर, जिला पंचायत नामक एक पंचायत का गठन करेगी।

58. जिला पंचायत की संरचना—(1) जिला पंचायत, वार्डों की ऐसी संख्या से भरे जाने वाले ऐसे स्थानों से मिलकर बनेगी जो प्रशासक, आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक वार्ड की प्रादेशिक सीमा, निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रशासक द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) जिला पंचायत के स्थान, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा, ऐसी रीति में भरे जाएंगे, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आबंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात होगा, जो यथासाध्य, संपूर्ण जिला पंचायत क्षेत्र में समान होगा।

(4) निम्नलिखित व्यक्ति भी जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच ;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का सदस्य :

परन्तु खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्रतिनिधि को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आयोजित अधिवेशन से अन्यथा, अधिवेशन में मतदान करने का अधिकार होगा।

(5) धारा 12 की उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, जिला पंचायत को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे इस उपांतरण के अधीन रहते हुए कि “ग्राम पंचायत” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे उन उपबंधों में आते हैं, “जिला पंचायत” शब्द रखे जाएंगे, “ग्राम पंचायत” को लागू होते हैं।

59. जिला पंचायत का निगमन—जिला पंचायत, धारा 57 के अधीन अधिसूचित नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा और जिसे इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित ऐसे निर्वधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रशासन और अंतरण करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगी या उस पर वाद लाया जाएगा।

60. मतदान करने और निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति—जिला पंचायत गठित करने वाली ग्राम सभाओं का प्रत्येक सदस्य, जब तक उसे इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया जाता है, निम्नलिखित के लिए अर्हित होगा,—

- (i) जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदान के लिए ;
- (ii) जिला पंचायत में निर्वाचन के लिए।

61. निरर्हिताएं—(1) कोई व्यक्ति, किसी जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा या उस रूप में नहीं रहेगा, यदि,—

- (क) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;
- (ख) वह भारत का नागरिक नहीं है ;

(ग) उसे, चाहे इस विनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या इसके पश्चात्,—

(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के 1955 का 2 अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है और उसकी दोषसिद्धि को पांच वर्ष की अवधि, या ऐसी कम अवधि, जो प्रशासक किसी विशिष्ट मामले में अवधारित करे, व्यपगत हो चुकी है ;

(ii) किसी अन्य अपराध के लिए सिद्धदोष और छह माह से अन्यून के कारावास से दंडित किया गया है और उसकी उन्मुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि, या ऐसी कम अवधि, जो प्रशासक किसी विशिष्ट मामले में अवधारित करे, व्यपगत हो चुकी है ;

(घ) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ङ) उसे दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है ;

(च) उसे इस विनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी ग्राम पंचायत में उसके द्वारा धारित किसी पद से या इस विनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी ग्राम पंचायत से हटा दिया गया हो और ऐसे हटाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समयावधि व्यपगत नहीं हुई है, जब तक कि उसे, राजपत्र में अधिसूचित प्रशासक के किसी आदेश के द्वारा, पद के ऐसे हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई निरर्हिता से उन्मुक्त नहीं कर दिया जाता है ;

(छ) वह इस विनियम के किसी उपबंध के अधीन पद धारण करने से निरर्हित हो गया है और ऐसी अवधि, जिसके लिए वह इस प्रकार निरर्हित हुआ है, व्यपगत नहीं हुई है ;

(ज) वह किसी पंचायत के दान या अधिकार में कोई वैतनिक पद या लाभ का पद, इस प्रकार विहित पद या स्थान से भिन्न, धारित करता है ;

(झ) उसका, पंचायत के आदेश से किए गए किसी कार्य में, या पंचायत के अधीन या उसके साथ नियोजन या उसके द्वारा या उसकी ओर से, या उसके साथ किसी संविदा में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कोई हिस्सा या हित है।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पंचायत की सदस्यता से केवल इस कारण से ही निरर्हित नहीं होगा कि,—

(i) ऐसे व्यक्ति का ऐसी किसी संयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयर है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी किसी सोसाइटी में कोई शेयर या हित है, जो किसी पंचायत के साथ संविदा करेगी या उसके द्वारा या उसकी ओर से नियोजित होगी ;

(ii) ऐसे व्यक्ति का किसी ऐसे समाचारपत्र में कोई शेयर या हित है, जिसमें किसी पंचायत के कार्यों से संबंधित विज्ञापन निकल सकते हैं ;

(iii) ऐसा व्यक्ति, किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से उठाए गए ऋण में कोई डिबेंचर धारित करता है या उससे अन्यथा संबंधित है ;

(iv) ऐसा व्यक्ति, किसी पंचायत की ओर से विधि व्यवसायी के रूप में वृत्तिक रूप से संबद्ध है ;

(v) ऐसा व्यक्ति, अचल संपत्ति के किसी पट्टे में, जिसमें ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा या अपने स्वयं की दशा में जिला पंचायत द्वारा किराए की राशि अनुमोदित की गई है या अचल संपत्ति के किसी विक्रय या क्रय में या ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के किसी करार में, कोई शेयर या हित रखता है ;

(vi) ऐसा व्यक्ति, किसी पंचायत को किसी वस्तु के, जिसमें वह नियमित रूप से व्यापार करता है, यदा-कदा किए

जाने वाले विक्रय में, या किसी पंचायत से किसी वस्तु के क्रय में, कोई शेयर या हित रखता है जिसका मूल्य, किसी भी मामले में, किसी वर्ष में एक हजार रुपए से अनधिक है ; या

(vii) ऐसा व्यक्ति, पंचायत की ओर से या उसके द्वारा या उसके अधीन या उसके साथ नियोजित किसी व्यक्ति का मात्र रिश्तेदार है ;

(ज) उसका, किसी पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से उधार लिए गए या उसे अग्रिम दिए गए ऋण के किसी संव्यवहार में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कोई हिस्सा या हित है ;

(ट) वह, उसके द्वारा पंचायत या किसी पंचायत अधीनस्थ को देय किसी भी प्रकार के किसी बकाए का या इस विनियम के अधीन उससे वसूलनीय किसी रकम का, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसरण में उसे विशेष नोटिस तामील किए जाने के पश्चात्, तीन मास के भीतर संदाय करने में असफल रहता है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) कोई व्यक्ति निरर्हित नहीं समझा जाएगा, यदि अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए विहित दिन से पूर्व, उसने खंड (ट) में निर्दिष्ट रकम या बकाया का भुगतान कर दिया है ;

(ii) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा या किसी समूह या इकाई से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके सदस्य संपदा या निवास में रीति-रिवाज द्वारा संयुक्त हैं, पंचायत को खंड (ट) में निर्दिष्ट रकम या बकाया के भुगतान में असफलता से, यथास्थिति, ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंब के सभी सदस्यों या ऐसे समूह या इकाई के सभी सदस्यों को निरर्हित समझा जाएगा ।

(उ) वह सरकार या किसी स्थानीय निकाय का सेवक है ;

(ड) उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य की राजभक्ति या निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ;

(ढ) उसके साधारण तौर पर निवास वाले स्थान पर जल शौचालय या शौचालय सुविधा नहीं है ;

परंतु आसीन सदस्य को निरर्हिता उपगत हुई समझी जाएगी, यदि वह, इस विनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, उस ग्राम पंचायत के, जिसकी अधिकारिता में उसका साधारण तौर पर निवास स्थान अवस्थित है, पंचायत सचिव द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि उसके साधारण तौर पर निवास स्थान पर जल शौचालय या शौचालय सुविधा उपलब्ध है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है।

(ण) वह इस विनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन निरर्हित है, और वह अवधि, जिसके लिए वह निरर्हित है, व्यपगत नहीं हुई है ;

(त) उसके दो से अधिक बच्चे हैं :

परंतु यदि किसी व्यक्ति के इस विनियम के प्रारंभ की तारीख को दो से अधिक बच्चे हैं, तो वह इस खंड के लिए तब तक निरर्हित नहीं होगा, जब तक उसके बच्चों की संख्या, जो ऐसे प्रारंभ की तारीख को उसके थे, नहीं बढ़ती है :

परंतु यह और कि ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एकल प्रसव में जन्मा एक बच्चा या एक से अधिक बच्चों को, इस खंड के अधीन निरर्हिता के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) जहां किसी दंपति के ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् केवल एक बच्चा है, पश्चात्तवर्ती एकल प्रसव से जन्मे कितने भी बच्चों को एकल इकाई के रूप में माना जाएगा ;

(ii) “बच्चा” में कोई दत्तक बच्चा या बच्चे सम्मिलित नहीं हैं ;

(थ) वह ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है ;

(द) उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन सद्भावहार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है ; या

(ध) उसे मतदान की तारीख से पूर्व पांच वर्ष के भीतर अवचार के लिए, सरकार या नगरपालिका या ग्राम पंचायत की सेवा से पदच्युत किया गया है ।

(2) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होने से निरर्हित होगा, यदि पांचवी अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित किया गया है ।

62. निरर्हिता के प्रश्न पर विनिश्चय—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति धारा 4, धारा 14, धारा 15, धारा 60 और धारा 61 में यथानिर्दिष्ट निरर्हिता से ग्रस्त हो गया है, तो उसका विनिश्चय करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु प्रशासक, ऐसे किसी प्रश्न पर कोई विनिश्चय करने से पूर्व, निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा :

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति तब तक निरर्हित नहीं होगा, जब तक उसे मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो ।

63. निर्वाचन—(1) किसी जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति (जिसके अंतर्गत मतदान की रीति भी है) से किया जाएगा, जो विहित की जाए और ऐसी तारीख या तारीखों को किया जाएगा, जो प्रशासक, निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा निदेश करे :

परंतु कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से छह मास की तारीख की अवधि के भीतर भरी जाएगी :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी ग्राम पंचायत के साधारण निर्वाचन के पूर्व छह मास के भीतर हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्वाचन आयोग, ऐसे कारणों से, जो वह आवश्यक समझे, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करके, किसी निर्वाचन को पूर्ण करने की तारीख का विस्तार करने में सक्षम होगा ।

(3) जहां किसी ऐसी पंचायत के संबंध में, जो उसकी पदावधि की समाप्ति के कारण पुनर्गठित की जानी है, प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्राकृतिक आपदा, दंगे, सांप्रदायिक अशांति, अपरिहार्य घटना के कारण, पंचायत के पुनर्गठन की अवधि के अवसान से पूर्व निर्वाचन कराना संभव नहीं है, तब, इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, इस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन, ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहती है, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे प्रशासक लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

64. अनुपस्थिति की अनुमति—(1) जिला पंचायत का कोई सदस्य, जो अपनी पदावधि के दौरान,—

(i) जिले से तीन क्रमागत महीनों से अधिक से अनुपस्थित है और पंचायत द्वारा इस प्रकार अनुपस्थित रहने के लिए चार मास से अनधिक की अनुमति प्रदान की गई है ;

(ii) उक्त पंचायत की छुट्टी के बिना पंचायत के अधिवेशनों से चार क्रमागत महीनों के लिए स्वयं को अनुपस्थित रखता है,

सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा तथा तत्पश्चात्, पंचायत, यथाशीघ्र, उसे सूचित करेगी कि रिक्ति हो गई है ।

(2) इस बारे में कि क्या इस धारा के अधीन कोई रिक्ति हुई है या नहीं, कोई विवाद विनिश्चय के लिए सचिव पंचायत को निर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसे सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु ऐसा निर्देश ग्रहण नहीं किया जाएगा, यदि वह उस तारीख से, जिसको पंचायत उपधारा (1) के अधीन सदस्य को ऐसी रिक्ति के संबंध में सूचित करती है, पन्द्रह दिन के अवसान के पश्चात् किया जाता है ।

(3) जब कभी, उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे सदस्य को, जो उपाध्यक्ष है, अनुमति प्रदान की जाती है, तो अन्य सदस्य, ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जिसके अधीन ऐसे स्वयं को अनुपस्थित रखने वाले उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया था, ऐसी अवधि, जिसके लिए ऐसी अनुमति प्रदान की गई है, के दौरान उपाध्यक्ष के सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए और उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा ।

65. पद की शपथ—(1) इस विनियम के अधीन जिला पंचायत का पहली बार गठन किए जाने पर या उसके पुनर्गठन पर, प्रशासक द्वारा, पंचायत सचिव के समक्ष पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में सभी सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के लिए नियत तारीख को अधिवेशन बुलाया जाएगा ।

(2) प्रशासक द्वारा नियुक्त अधिकारी ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) जिला पंचायत का कोई सदस्य, जिसने ऐसी शपथ नहीं ली है, किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा और न ही उसे जिला पंचायत द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा ।

66. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन—(1) इस विनियम के अधीन पहली बार जिला पंचायत का गठन होने पर या जिला पंचायत की अवधि की समाप्ति पर या उसके पुनर्गठन पर, पंचायत सचिव द्वारा नियत तारीख पर अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ।

(2) पंचायत सचिव द्वारा नियुक्त अधिकारी ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) ऐसे अधिवेशन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से अन्यथा कोई कामकाज नहीं किया जाएगा ।

(4) मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन का परिणाम, नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में, ऐसी रीति में, जो वह अवधारित करे, लाटरी द्वारा ड्रा निकालकर किया जाएगा ।

(5) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के रोस्टर, जिसे ऐसे रूप और रीति में रखा जाएगा, जिसे विहित किया जा सके, के अनुसार आरक्षित होगा :

परंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, प्रत्येक दूसरी अवधि में स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगा।

(6) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि, जब तक जिला पंचायत को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तत्काल भंग नहीं किया जाता है, उस तारीख से, जिसको वे पहली बैठक के लिए नियुक्त किए जाते हैं, अधिकतम दो साल और छह महीने की होगी और उससे अधिक की नहीं होगी।

67. अधिवेशन—अध्यक्ष,—

(i) जिला पंचायत के अधिवेशन बुलाएगा, उनकी अध्यक्षता करेगा और उनका संचालन करेगा ;

(ii) की पहुंच पंचायत के अभिलेखों तक होगी ;

(iii) इस विनियम द्वारा या उसके अधीन उसको अधिरोपित सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(iv) पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर नजर रखेगा और उससे जुड़े सभी प्रश्नों को, जो उसके समक्ष उसके आदेश के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, पंचायत को प्रस्तुत करेगा ; और

(v) पंचायत या उसकी किसी समिति के निर्णयों या संकल्पों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर प्रशासनिक अधीक्षण का प्रयोग करेगा।

68. उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य—उपाध्यक्ष,—

(क) अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन तब करेगा, जब वह छुट्टी पर अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हो ; और

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या जब अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हो तो जिला पंचायत के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

69. जिला पंचायत का कार्यकाल—(1) जिला पंचायत, जब तक उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले विघटित नहीं कर दिया जाता है, उसके पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष के लिए चालू रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) जिला पंचायत को गठित करने के लिए निर्वाचन,—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा ; और

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा ;

परंतु जहां ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए विघटित जिला पंचायत जारी रखी जाएगी, छह मास से कम है, वहां जिला

पंचायत के गठन के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी जिला पंचायत का, उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व विघटन होने पर गठित जिला पंचायत, केवल ऐसी शेष अवधि के लिए ही जारी रहेगी, जिसके लिए विघटित जिला पंचायत, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती तो, उपधारा (1) के अधीन जारी रहती।

70. पद से त्यागपत्र—(1) जिला पंचायत कोई सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचित करते हुए अध्यक्ष को लिखित में उस प्रभाव की सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष उसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन अध्यक्ष को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(3) अध्यक्ष, पंचायत सचिव को सूचित करते हुए पंचायत सचिव को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, पंचायत सचिव द्वारा उसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

71. आकस्मिक रिक्ति—आकस्मिक रिक्ति—जिला पंचायत में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति इस विनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा जिला पंचायत की शेष अवधि के लिए भरी जाएगी :

परन्तु जहां अध्यक्ष का स्थान या पद किसी स्त्री या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहा है वहां किसी स्त्री या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति शेष अवधि के लिए ऐसे रिक्ति को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा।

72. जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य का निलंबन—(1) सचिव पंचायत जिला पंचालय के ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से आदेश द्वारा निलंबित कर सकेगा जिसके विरुद्ध नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले अपराध के संबंध में कोई दांडिक कार्यवाहियां संस्थित की गई है या जिसे किसी अपराध के लिए विचारण के दौरान कारागार में निर्दिष्ट किया गया है या जो कारावास के ऐसे दंडादेश को भोग रहा है जो उसे धारा 58 के अधीन पंचायत के सदस्य के रूप में बने रहने से निरहित नहीं करेगा या जिसे तत्समय प्रवृत्त निवारक निरोध संबंधी किसी विधि के अधीन निर्दिष्ट किया गया है।

(2) जहां जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उपधारा (1) के अधीन निलंबित किया गया है वहां कोई अन्य सदस्य इस शर्त के अधीन रहते हुए, जिसके अधीन

यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए और सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निलंबित जिला पंचायत के किसी सदस्य को उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा निलंबन जारी रहता है, निर्वाचित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील आदेश की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर प्रशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी।

73. अविश्वास प्रस्ताव—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत के कम से कम एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा उसकी सूचना देने के पश्चात्, किन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा पदग्रहण करने के छह मास के पूर्व नहीं लाया जा सकेगा।

(2) यदि प्रस्ताव, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा लाया जाता है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब तक वह पहले त्यागपत्र नहीं देता है, उस तारीख से जिसको प्रस्ताव लाया जाता है, पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास की कार्यवाहियों में बोलने या अन्यथा उनमें भाग लेने का अधिकारी होगा।

74. अविश्वास प्रस्ताव—(1) सचिव पंचायत आदेश द्वारा जिला पंचायत के किसी सदस्य को, उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से उसे सुनवाई का अवसर देने और इस निमित्त सूचना के पश्चात् और ऐसी जांच के पश्चात् जो वह ठीक समझे, पद से हटा सकेगा यदि ऐसा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस विनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का या किसी कलंकास्पद आचरण का दोषी रहा है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में निरन्तर व्यतिक्रम करता है या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया है, पद से हटा सकेगा और इस प्रकार हटाया गया यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सचिव पंचायत के विवेकानुसार पंचायत की सदस्यता से भी हटाया जा सकेगा :

परन्तु जिला पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) सचिव पंचायत, उपधारा (1) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया है या अध्यक्ष ऐसे किसी पद नहीं रह जाता है और उपधारा (1)

में विनिर्दिष्ट आचरण का दोषी रहा है या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहा है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए निरर्हित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सचिव पंचायत के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रशासक या इस निमित्त उस के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

75. जिला पंचायत का कर्मचारिवृंद—(1) प्रशासक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) प्रशासक, जिला पंचायत के लिए एक लेखा अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

(3) प्रशासक, के पास समय-समय पर जिला पंचायत में समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारी ऐसी संख्या में तैनात करने की शक्ति होगी जिसमें विद्यमान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियोजित कोई अधिकारी और लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन सेवा करने के लिए आबंटित अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिन्हें प्रशासक आवश्यक समझे।

(4) इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला पंचायत या इस निमित्त जिला परिषद् द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के पास अधिकारियों को स्थानांतरित करने और जिला पंचायत में तैनात उपधारा (3) में उल्लिखित पदधारियों से भिन्न पदधारियों का स्थानांतरण करने की शक्ति होगी।

(5) जिला पंचायत ऐसे अन्य पदों को सृजित कर सकेगा और भर सकेगा जो प्रशासक के पूर्व अनुमोदन समय-समय पर आवश्यक हों :

परन्तु ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा जिसके लिए बजट का उपबंध नहीं किया गया है और जिसे उपधारा (6) के अधीन यथा उपबंधित प्रशासक द्वारा स्टाफ के पैटर्न में उपबंध नहीं किया गया है।

(6) प्रशासक, इस विनियम में उल्लिखित कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए स्टाफ के पैटर्न को अनुमोदन देगा और ऐसे कर्मचारिवृंद के निबंधन और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें विहित किया जा सके।

76. जिला पंचायत के कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तें—जिला पंचायत के कर्मचारिवृंद अपनी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे जो जिला पंचायत में उनकी तैनाती के पूर्व लागू होते हैं।

77. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों के कृत्य—(1) इस विनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस विनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए की कार्यपालक शक्तियां निहित होगी, और वह —

(क) सभी कृत्यों का पालन करेगा और इस विनियम का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस पर विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित या प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा; और

(ख) जिला पंचायत के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों का अधिकथित करेगा ;

(2) इस विनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी—

(क) निम्नलिखित निम्नलिखित के लिए हकदार होगा—

(i) जिला पंचायत या इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने;

(ii) जिला पंचायत के या उसके अधीन पदधारण करने वाले किसी अधिकारी या सेवक से कोई सूचना, विवरणी-विवरण, लेखा या रिपोर्ट की मांग करने ;

(iii) ऐसे वर्ग के अधिकारियों को अनुपस्थिति की छुट्टी मंजूर करने जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए ;

(iv) जिला पंचायत के या उसके अधीन पदधारण करने वाले किसी अधिकारी या सेवक से स्पष्टीकरण की मांग करने ;

(ख) जिला पंचायत के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उन मामलों के संबंध में कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और कृत्यों का पालन करेगा जो इस विनियम द्वारा या उसके अधीन जिला पंचायत की किसी सीमित, पीठासीन अधिकारी या किसी पर अधिकतम रूप से अधिरोपित या प्रदत्त नहीं किए गए हैं ;

(ग) ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, ऐसे वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा ;

(घ) जिला पंचायत के सभी नैमित्तिक मजदूरों, दैनिक मजदूरी कर्मचारों और संविदात्मक नियोजन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, परिनियोजन करेगा ;

(ङ) जिला पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, उनका क्रियान्वयन करेगा ;

(च) जिला पंचायत की सभी सर्कमों और विकास संबंधी स्कीमों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा ;

(छ) जिला पंचायत से संबंधित सभी कागजपत्रों और दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखेगा ;

(ज) जिला पंचायत के अधीन पदधारण करने वाले अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन करेगा और उस पर गोपनीय

रूप से प्रत्येक वर्ष अपनी राय देगा, उसे ऐसे प्राधिकारियों को अग्रेषित करेगा जो संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित किए जाएं और जिला पंचायत के अधीन अधिकारियों तथा सेवकों के कार्य के बारे में ऐसे रिपोर्टें लिखने की प्रक्रिया अधिकथित करेगा ;

(ज) कार्यपालक प्रशासन के मामलों में और जिला पंचायत के लेखाओं तथा अभिलेखों से संबंधित मामलों में जिला पंचायत के अधीन पद धारण करने वाले अधिकारियों और सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा ;

(ट) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं ;

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों जिला पंचायत के अधीन पदधारण करने वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा परन्तु ऐसा अधिकारी या कर्मचारी ऐसे पंक्ति से नीचे का न हो जो विहित की जाए ।

(4) इस विनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत के साधारण नियंत्रण के अधीन होगा ।

78. अभिलेखों की अपेक्षा का अधिकार—ग्राम पंचायत या जिला पंचायत से संबंधित धन, लेखा, अभिलेखों या अन्य संपत्ति का कब्जा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की लिखित में मांग किए जाने पर, उसे प्राप्त किए जाने की अपेक्षा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसा धन सौंपेगा या ऐसे लेखों, अभिलेखों या अन्य संपत्ति का परिदान करेगा ।

79. जिला पंचायत के अधिवेशन—(1) जिला पंचायत के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों पर अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जा सके ।

(2) जिला पंचायत का कोई सदस्य, किसी भी अधिवेशन में संकल्प का प्रस्ताव कर सकेगा और ऐसी रीति में जो विहित की जाए जिला पंचायत के प्रशासन से संबद्ध मामलों पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समक्ष प्रश्न रख सकेगा ।

(3) जिला पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई द्वारा समर्थित संकल्प, के सिवाए, जिला पंचायत का कोई संकल्प इसमें पारित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर जिला पंचायत द्वारा उपांतरित संशोधित, फेरफार या निलंबित नहीं किया जाएगा ।

80. स्थायी समिति या संयुक्त समिति आदि—(1) स्थायी समिति या संयुक्त समिति या आदि—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, जिला पंचायत अपने

सदस्यों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, निम्नलिखित स्थायी समितियों को नियुक्त कर सकेगी, अर्थात् :--

- (क) कार्यपालक समिति ;
- (ख) लोक स्वास्थ्य समिति ;
- (ग) लोक संकर्म समिति ;
- (घ) शिक्षा समिति ;
- (ङ) उत्पादन, सहयोग और सिंचाई समिति ;
- (च) सामाजिक न्याय समिति ; और
- (छ) महिला बालविकास और युवा क्रियाकलाप समिति।

(2) (क) से (छ) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना और अवधि ऐसी होगी जो विहित की जा सके।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त, जिला पंचायत प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से जिला पंचायत द्वारा विनिश्चित किए गए कार्य या स्कीम का क्रियान्वित करने के लिए या ऐसे मामलों जिन्हें पंचायत ऐसी समिति या समितियों को निर्दिष्ट करे, में जांच करने के लिए और जिला पंचायत को रिपोर्ट करने के लिए समिति या समितियां गठित कर सकेगी और जिला पंचायत ऐसी किसी समिति द्वारा अनुसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए विनियम बना सकेगी।

(4) अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए कोई फीस या भत्तों का संदाय नहीं किया जाएगा।

81. कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—जिला पंचायत या उसकी स्थायी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही की उसमें रिक्रि के अस्तित्व या जिला पंचायत या इसकी समिति के गठन में त्रुटि या इसकी कार्यवाहियों में कोई शैथिल्यता के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

82. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से परामर्श—प्रशासक, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित किसी भी विषय में समय-समय पर जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से परामर्श करेगा और ऐसे विषय पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विचार प्रकृति में अनुशंसात्मक होंगे।

83. जिला पंचायत के कर्तव्य और कृत्य—जिला पंचायत के पास ऐसी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो प्रशासक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके जिससे कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के मामले में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्कीमों के क्रियान्वयन के संबंध में स्वायत्त शासन की किसी संस्था के कृत्यों को समर्थकारी किया जा सके।

84. कतिपय संपत्तियों पर जिला पंचायत का नियंत्रण—

(1) जिला पंचायत, सड़क, गली, पुलों, पुलिया और धारा 82

की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक द्वारा रखी अन्य संपत्तियों की बाबत अपने निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सभी आवश्यक चीजें करेगा और विशिष्टतया --

(क) चौड़ा, खुला, बड़े आकार कर सकेगा या अन्यथा किसी ऐसी सड़क, पुल या पुलिया और पौधों का सुधार करेगा और ऐसी सड़कों के दोनों ओर वृक्षों को बनाए रखेगा ;

(ख) धारा 89 की उपधारा (1) के खंड(ग) में उल्लिखित किसी जल मार्ग को गहरा और अन्य संपत्ति का अन्यथा सुधार कर सकेगा ;

(ग) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली में प्रक्षेपित किसी वृक्ष के बाड़े या शाखा को काट सकेगा ;

(घ) नई सड़कों को बिछा और बना सकेगा ; और नए पुलों और पुलियों का संनिर्माण कर सकेगा।

85. जिला पंचायत को किसी कार्य या संस्था का अंतरण—प्रशासक, जिला पंचायत को किसी कार्य के निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत या प्रशासक या किसी स्थानीय प्राधिकारी के निमित्त किसी संस्था का प्रबंध न्यस्त कर सकेगा :

परंतु कार्य के निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत या ऐसे संस्थान के प्रबंधन के लिए आवश्यक निधियां प्रशासक या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जिला पंचायत के व्ययन के लिए दी जाएगी।

86. संविदा किए जाने का ढंग—जिला पंचायत के निमित्त की गई प्रत्येक संविदा या करार लिखित में होगी और अध्यक्ष जिला पंचायत के दो अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उसे जिला पंचायत की सामान्य मुद्रा द्वारा मुहरबंद किया जाएगा।

87. जिला पंचायत निधि का गठन—“जिला पंचायत निधि, (जिले का नाम.....)” के नाम से ज्ञात निधि जिला पंचायत द्वारा या उस निमित्त निम्नलिखित राशियों का प्रत्यय करने के लिए और उसमें राशियों को निकालने के लिए भी गठित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) धारा 83 द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कोई कर फीस का आगम ;

(ii) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई अभिदाय ;

(iii) जिला पंचायत निधि में जमा होने के लिए किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आदेशित सभी राशियां ;

(iv) प्रतिभूतियों से आय जिसमें जिला पंचायत निधि का विनिधान किया गया है ;

(v) उधारों या उपहारों के तरीके से प्राप्त सभी राशियां ;

(vi) जिला पंचायत प्रबंधन के अधीन मत्स्यपालन से व्युत्पन्न आय ;

(vii) जिला पंचायत की किसी संपत्ति के आगमों से आय;

(viii) सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा जिला पंचायत निधि में समनुदेशित राशि ;

(ix) जिला पंचायत निधि द्वारा अनुरक्षित या वित्त पोषित या जिला पंचायत द्वारा प्रबंधित किसी संस्था या सेवा की सहायता या उसमें व्यय के लिए प्राप्त सभी राशियां ;

(x) भारत की संचित निधि से अनुदान सहायता।

88. अनुदान—प्रशासक, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे, साधारण प्रयोजनों के लिए या जिले के सुधार और उसके निवासियों के कल्याण के लिए अनुदान कर सकेगा।

89. जिला पंचायत में निहित संपत्ति—(1) प्रशासक यदि वह ठीक समझे तो जिला पंचायत की अधिकारिता के भीतर स्थित सभी या किन्हीं निम्नलिखित संपत्तियों को जिला पंचायत के निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रख सकेगा, अर्थात् :--

(क) खुले स्थल, अपशिष्ट, खाली और चारागाह भूमि जो प्राइवेट संपत्ति नहीं है और नदी तल ;

(ख) सार्वजनिक सड़कें और गलियां ;

(ग) सार्वजनिक चैनल, जल मार्ग, कुएं, तालाब, कुंड (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई के कुंडों को छोड़कर) सार्वजनिक झरने, जलाशय, हौज, जलवाही सेतु, और किसी सार्वजनिक कुंड या तालाबों से संबंधित कोई निकटवर्ती भूमि (जो निजी संपत्ति नहीं है) और उसके निकट की भूमि ;

(घ) सार्वजनिक मल प्रणाली, नालियां, जल निकास, सुंग संकर्म और पुलियां और उससे संबंधित बातें तथा अन्य संरक्षण कार्य ;

(ङ) मल व्यवस्था, कूड़ा-करकट और गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल प्रणाली, हौदी और अन्य स्थानों से पंचायत द्वारा सड़क पर जमा या इकट्ठा अप्रिय पदार्थ ;

(च) पथ प्रकाश, सार्वजनिक लैंप, लैंप पोस्ट, और उससे संबंध या उससे संबंधित साधित्र ;

(छ) सार्वजनिक पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, बूचड़खाना, मछली पालन, शमशान, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र;

(ज) सड़क की ओर वृक्ष, ईंधन काष्ठ, बागान, गैर पांपरिक उर्जा उपस्कर।

(2) सभी बाजार और मेले या उसके ऐसे भाग जो सार्वजनिक भूमि में लगते हैं उन्हें जिला पंचायत द्वारा प्रबंधित और विनियमित किया जाएगा और उसके संबंध में सभी

उद्गृहीत या अधिरोपित सभी देयों को जिला पंचायत निधि में जमा किया जाएगा।

90. कर जिन्हें अधिरोपित किया जा सकेगा—जिला पंचायत, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप प्रदान की गई सेवा के संबंध में समुचित करों, शुल्कों, पथकरों, उपकरों और फीसों का उद्ग्रहण, संग्रहण, निर्धारण करेगी और ऐसी दरों पर ऐसे करों को उद्गृहीत करेगा जिसे प्रशासक विहित कर सके।

91. कर आदि के उद्ग्रहण के विरुद्ध अपील—(1) धारा 90 के अधीन किसी कर या फीस के निर्धारण, उद्ग्रहण या अधिरोपण से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे कर या फीस के अधिरोपण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव, पंचायत को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश से दूसरी अपील प्रशासक को होगी।

(3) पहली अपील और दूसरी अपील ऐसे रूप में फाइल की जाएगी और ऐसी फीस के साथ होगी जो विहित की जा सके।

92. कर या फीस के उद्ग्रहण का निलंबन—प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 90 के अधीन किसी कर के उद्ग्रहण या फीस के अधिरोपण का निलंबन कर सकेगा और उसी रीति में किसी समय ऐसे निलंबन को विखंडित कर सकेगा।

93. फीस आदि के संग्रहण का पट्टा—जिला पंचायत के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि विहित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् वह विनिर्दिष्ट मंडी और बाजारों पर किसी फीस के संग्रहण को सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा पट्टा दे यदि धारा 90 के अधीन ऐसी फीस अधिरोपित है :

परंतु पट्टाधारी, पट्टा या संविदा की शर्तों की सम्यक् पूर्ति के लिए प्रतिभूति देगा।

94. करों और अन्य देयों की वसूली—(1) जब जिला पंचायत को देय कोई कर या फीस या अन्य राशि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय हो गई है तो वह कम से कम व्यवहार्य विलंब से ऐसे संदेय के लिए दायी व्यक्ति को उससे देय रकम के लिए विहित प्ररूप में मांग सूची भिजवाएगा और उससे अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर रकम का संदाय कर दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मांग की प्रत्येक नोटिस की तामील ऐसी रीति में होगी जिसे विहित किया जा सके।

(3) यदि वह राशि जिसके लिए मांग नोटिस तामील की गई है, उसका ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं किया जाता है तो जिला पंचायत भूमि राजस्व के

बकाया के रूप में इसमें वसूली के लिए संबद्ध मामलातदार के रूप में नामित राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकेगी।

95. लेखा—जिला पंचायत अपनी आय और व्यय के लेखा का अनुरक्षण ऐसे रूप में करेगी जो विहित किया जाए।

96. बजट—(1) जिला पंचायत, ऐसे समय और ऐसी रीति में, जिसे विहित किया जा सके, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वर्ष के लिए इसकी प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का बजट तैयार करेगी और उसे जिला योजना समिति के माध्यम से सचिव पंचायत को प्रस्तुत करेगी जो संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासक के समक्ष रखेगा।

(2) सचिव पंचायत ऐसी अवधि के भीतर जिसे विहित किया जा सके या तो बजट का अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे परिवर्तनों के लिए जिसे वह निदेश कर सके, जिला योजना समिति के माध्यम से जिला पंचायत को वापस कर सकेगा।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन कोई परिवर्तन किए जाते हैं तो बजट को ऐसी अवधि के भीतर सचिव पंचायत को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) जिला पंचायत द्वारा कोई व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक प्रशासक बजट का अनुमोदन न कर दें।

(5) जिला पंचायत, वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसके लिए वार्षिक बजट प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया है, एक पुनरीक्षित या पूरक बजट तैयार कर सकेगी जिसे उपधारा (2) के अधीन मूल बजट के रूप में उसी रीति में प्रशासक द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।

97. लेखा परीक्षा—(1) जिला पंचायत के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसी रीति में की जाएगी जिसे विहित किया जा सके।

(2) लेखा परीक्षा ऐसे अधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जाएगी जिसे प्रशासक इस निमित्त नियुक्त कर सके और वह अधिकारी लेखा परीक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां सचिव पंचायत को भेजेगा।

(3) सचिव पंचायत, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, कोई मद जो उसे विधि के विरुद्ध लगे प्रशासक को संसूचना के अधीन अननुज्ञात कर सकेगा और अवैध संदाय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले किसी व्यक्ति को अधिभारित कर सकेगा और निम्नलिखित करेगा—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति जिला पंचायत का कोई सदस्य है तो धारा 103 में विनिर्दिष्ट रीति में उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा ;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं है तो वह व्यक्ति का स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा और ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जिला पंचायत को अधिभारित रकम

के संदाय के लिए निदेश देगा और यदि रकम विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदेय नहीं की जाती है तो सचिव पंचायत इसे भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूल कराएगा और इसे जिला पंचायत निधि में जमा करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन सचिव पंचायत के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रशासक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा।

98. प्रशासनिक रिपोर्ट—जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वार्षिक रूप से पूर्व वर्ष के लिए जिला पंचायत के प्रशासन पर एक रिपोर्ट ऐसी रीति में तैयार करेगा जो विहित की जा सके, और जिला पंचायत द्वारा से अनुमोदन किए जाने के पश्चात् इसे सचिव पंचायत के माध्यम से प्रशासक को प्रस्तुत करेगा।

99. सामाजिक लेखा परीक्षा—(1) पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे मुख्य कार्य की सामाजिक लेखा परीक्षा, धारा 80 के अधीन नियुक्त की गई सामाजिक लेखा समिति ऐसी रीति में और ऐसे अंतरालों पर और ऐसे अधिकारियों की सहायता से संचालित की जा सकेगी जिन्हें विहित किया जा सके।

(2) सामाजिक लेखा समिति, उपधारा (1) के अधीन संचालित सामाजिक लेखा परीक्षा की अपनी रिपोर्ट ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगी जिसे विहित किया जा सके।

100. कार्यवाहियों आदि को मंगाने की शक्ति—प्रशासक या सचिव पंचायत या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई अन्य अधिकारी को शक्ति होगी—

(क) निम्नलिखित को मंगाने के लिए--

(i) जिला पंचायत की कार्यवाहियों या जिला पंचायत के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन किन्हीं बहियों और अभिलेखों, पत्र व्यवहार या दस्तावेजों से कोई उद्धरण ;

(ii) निरीक्षण या परीक्षा के प्रयोजन के लिए कोई विवरणी, योजना, प्राक्कलन, कथन, लेखा या रिपोर्ट ;

(ख) विचार किए जाने के लिए जिला पंचायत से अपेक्षा करना-

(i) कोई आक्षेप जो प्रशासक या सचिव पंचायत को कोई बात करने के लिए जिसे जिला पंचायत के बारे में किया जाना या किए जाने के लिए होना प्रतीत हो ;

(ii) कोई सूचना जिसके लिए प्रशासक या सचिव पंचायत प्रस्तुत करने के लिए और जिला पंचायत द्वारा कतिपय बातों को आवश्यक रूप से करने के लिए समर्थ है और लिखित में उसे उत्तर देते हुए यह अपेक्षा करना कि युक्तियुक्त समय में

यह कथन करते हुए कि ऐसा करने से छोड़ने के क्या कारण कारण थे।

101. जिला पंचायत के कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम—

(1) यदि किसी समय, सचिव पंचायत को यह प्रतीत होता है कि जिला पंचायत ने जानबूझकर और इस विनियम द्वारा इस पर अधिरोपित कर्तव्य के पालन में लगातार व्यतिक्रम किया है तो वह लिखित में आदेश द्वारा उस कर्तव्य के पालन के लिए अवधि नियत कर सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कर्तव्य का पालन इस प्रकार नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो सचिव पंचायत प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा और निदेश दे सकेगा कि कर्तव्य के पालन में व्यय को व्यतिक्रमी जिला पंचायत द्वारा ऐसी अवधि के भीतर संदत्त किया जाएगा जो सचिव पंचायत ठीक समझे।

102. जिला पंचायत के संकल्प पर आदेश के निष्पादन का निलंबन—(1) यदि सचिव पंचायत की राय में जिला पंचायत के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या जिला पंचायत द्वारा या उस निमित्त कोई बात के बारे में या किए जाने से जनता को क्षति या परेशानी होने की संभावना है या लोक खजाने की गंभीर क्षति है या लोकहित के विरुद्ध प्रवृत्त है या शांति भंग का कारण है या विधिविरुद्ध हैं तो वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे निष्पादन का निलंबन या उसको किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध संबद्ध जिला पंचायत को हेतुक दर्शाने के युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) जहां सचिव पंचायत उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करता है तो वह उसके द्वारा प्रभावी पंचायत को इसके कथन या किए जाने के कारणों के साथ आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(3) जिला पंचायत को ऐसी सूचना देने के पश्चात्, सचिव पंचायत जैसे वह ठीक समझे उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को विखंडित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रशासक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा जो सचिव पंचायत के आदेश को अनुमोदित या अननुमोदित करेगा या इसे ऐसी रीति में उपांतरित करेगा जो वह ठीक समझे।

103. हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए सदस्यों का दायित्व—(1) जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक रूप से जिला पंचायत के किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या

दुरुपयोग के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होगा जिसके लिए वह पक्षकार रहा है या जिसे अवचार या कपट की कोटि में आने के लिए किसी सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य की जानबूझकर ऐसी उपेक्षा द्वारा जो कपट की कोटि में आता है, किया गया है या सुकर बनाया गया है।

(2) यदि तत्प्रतिकूल कारण बताने के लिए संबद्ध जिला पंचायत के सदस्य को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् सचिव पंचायत का यह समाधान हो जाता है कि जिला पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे सदस्य की ओर से अवचार या जानबूझकर उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है तो वह प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा ऐसे सदस्य को नियत तारीख से पूर्व ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अपेक्षित रकम की प्रतिपूर्ति के संदाय के लिए जिला पंचायत को निदेश दे सकेगा:

परंतु ऐसा कोई आदेश वास्तविक या तकनीकी अनियमितताएं या सदस्य की भूल के लिए नहीं किया जाएगा।

(3) यदि रकम इस प्रकार संदत्त नहीं की जाती है तो सचिव पंचायत इसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा और इसे जिला पंचायत निधि में जमा करेगा।

(4) सचिव पंचायत का कोई आदेश, प्रशासक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की किसी अपील के अध्यक्ष होगा यदि इसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाता है और प्रशासक ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् आदेश को विखंडित, या फेरफार या पुष्ट कर सकेगा।

(5) सभी कार्यवाहियां या धारा 101, धारा 102 और इस धारा के अधीन किए गए आदेश यथासंभवशीघ्र प्रशासक को रिपोर्ट किए जाएंगे।

104. व्यतिक्रमों के लिए पंचायतों का विघटन या निलंबन—(1) यदि प्रशासक की राय में, जिला पंचायत अपनी शक्तियों को पार करती है या उनका दुरुपयोग करती हैं या इस विनियम के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों या उसे न्यस्त कृत्यों का पालन करने में अक्षम है या उनके पालन में निरंतर व्यतिक्रम करता है या उससे न्यष्ट जिला पंचायत प्रशासक द्वारा या प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या इस विनियम के अधीन किए गए आदेश का पालन करने में असफल रहता है या ऐसे आदेशों की निरंतर अवज्ञा करता है, तो प्रशासक राजपत्र में आदेश द्वारा जिला पंचायत को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्—

(i) ऐसी जिला पंचायत का विघटन कर सकेगा ; या

(ii) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी जिला पंचायत को अतिष्ठित कर सकेगा :

परंतु ऐसी अवधि छह मास या ऐसी जिला पंचायत के कार्यकाल के अवशिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह कि प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् समय-समय पर पूर्वगामी परंतुक के अधीन रहते हुए ऐसी जिला पंचायत की अधिक्रमण की अवधि को ऐसे तारीख बढ़ा सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए या वैसे ही आदेश द्वारा अधिक्रमण की अवधि को कम कर सकेगा ।

(2) जब जिला पंचायत विघटित हो जाती है या अतिष्ठित हो जाती है तो जिला पंचायत के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त करेंगे ।

(3) उस समय, जब जिला पंचायत विघटित या अतिष्ठित हो जाती है तो यह इस विनियम में उपबंधित रीति में पुनर्गठित की जाएगी ।

(4) यदि किसी जिला पंचायत को विघटित किया जाता है या अतिष्ठित किया जाता है :-

(क) जिला पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का, यथास्थिति, विघटन या अधिक्रमण की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा या उनका पालन किया जाएगा जिन्हें प्रशासक समय-समय पर नियुक्त करे ;

(ख) जिला पंचायत में निहित सभी संपत्ति, यथास्थिति, विघटन या अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रशासक में निहित होगी ; और

(ग) यथास्थिति, विघटन पर या अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर, जिला पंचायत का इस विनियम में उपबंधित रीति में पुनर्गठन किया जाएगा और पद को रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे ।

105. शक्तियों का प्रत्यायोजन—प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जा सके, सचिव पंचायत या उसके अधीनस्थ कोई अन्य अधिकारी को जिला पंचायतों के संबंध में शक्ति का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा जिसका उसके द्वारा वह इस विनियम के अधीन धारा 130 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों के सिवाए प्रयोग कर सकेगा ।

106. जिला पंचायत की शक्तियों, कृत्यों आदि का उपांतरण—किसी जिला पंचायत के विषय के संबंध में किसी शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के अंतरण के होते हुए भी, जहां प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि मामले की प्रकृति में किसी परिवर्तन के कारण मामला तीसरी अनुसूची का मामला नहीं रह जाता है और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे मामले की

बाबत शक्तियों, कृत्य या कर्तव्य को जिला पंचायत से वापस लेना आवश्यक है तो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को वापस लेता है और ऐसे आनुपंगित तथा पारिणामिक आदेश करता है जो पंचायत में निहित होने वाली संपत्ति, अधिकार और दायित्व ; यदि कोई हो, और उनके ऐसे कर्मचारिवृंद, यदि कोई हो, जिनका स्थानांतरण पंचायत में किया गया हो, को प्रबंध में लेने सहित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए आवश्यक हो सके ।

अध्याय 8

निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग

107. निर्वाचन आयोग—(1) अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का विनियम 1) की धारा 185 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग, अधीक्षण, निदेश और निर्वाचक नामावली की तैयारी के नियंत्रण तथा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग होगा ।

(2) प्रशासक, जब निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, उस आयोग को ऐसा कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जो उपधारा (1) द्वारा निर्वाचन आयोग पर प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो सके ।

108. वित्त आयोग—अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का विनियम 1) की धारा 186 के अधीन गठित वित्त आयोग, पंचायतों की वित्तीय प्रास्थिति के पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिए वित्त आयोग भी होगा और निम्नलिखित के बारे में प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप को सिफारिश करेगा--

(क) वे सिद्धांत जिसे निम्नलिखित को शासित करना चाहिए--

(i) करों, शुल्कों, उपकरणों और फीसों की शुद्ध आय को संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के बीच बांटना जिसे संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा उद्गृहीत किया जा रहा है और जिसे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के हिस्सों में किया जा सकेगा और सभी स्तरों पर ऐसी आय के उनके हिस्से को ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों में विभाजित करना ;

(ii) करों, शुल्कों, उपकरणों, पथकरणों और फीसों का अवधारण करना जिसे ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों द्वारा उन्हें समनुदेशित या समुचित रूप दिया जा सकता है ।

(iii) भारत की संचित निधि से ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान ;

(ख) ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत की वित्तीय प्रास्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय ;

(ग) भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य मामला ।

अध्याय 9

पंचायतों के लिए ओमबड्समैन

109. ओमबड्समैन की स्थापना और नियुक्ति—(1)

पंचायतों और उनके अधीन कार्य कर रहे लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक कृत्यों के निर्वहन में भ्रष्टाचार या कुप्रशासन या अनियमितताओं वाली किसी कार्यवाही के संबंध में अन्वेषणों और जांचों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए “ओमबड्समैन” के नाम से ज्ञात एक प्राधिकारी होगा ;

(2) ओमबड्समैन सिविल सोसाइटी से त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा से युक्त प्राख्यात व्यक्तियों के पैनल से चयन की गई समिति की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा प्रशासक द्वारा नियुक्त किया गया एकल सदस्यीय निकाय होगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

(क) राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ;

(ग) सेवानिवृत्त सिविल सेवक जो भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(घ) प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट सिविल सोसाइटी के दो सदस्य ।

(4) ओमबड्समैन होने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशासक या उसके द्वारा उस निमित्त अन्य व्यक्ति के समक्ष विहित किए गए प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(5) ओमबड्समैन सेवारत सरकारी अधिकारी नहीं होगा।

110. विहित की जाने वाली प्रक्रियाएं—निम्नलिखित विषयों की बाबत प्रशासक नियम बना सकेगा, अर्थात्:—

(क) ओमबड्समैन के कर्मचारिवृंद ;

(ख) ओमबड्समैन और ओमबड्समैन के कर्मचारिवृंद की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) ओमबड्समैन के समक्ष शिकायतें फाइल करने की रीति और या तो स्वप्रेरणा से अथवा प्रशासक द्वारा निर्देश में से मामलों को फाइल किए जाने की रीति ;

(घ) ओमबड्समैन की शक्तियां और कृत्य ;

(ङ) ओमबड्समैन द्वारा अन्वेषण संचालित करने की रीति और प्रक्रिया ;

(च) ओमबड्समैन द्वारा अभियोजन आरंभ के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) ओमबड्समैन द्वारा जांच के दौरान अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे यथासंभव संक्षिप्त कार्यवाही होनी चाहिए ।

(ज) ओमबड्समैन के आदेश के क्रियान्वयन की रीति और अगली कार्यवाहियां;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे प्रशासक, ओमबड्समैन के कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझ सके ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

111. निर्वाचन याचिका—(1) यदि ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के किसी सदस्य या सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता का निर्वाचन में मतदान करने के लिए किसी अर्हित व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत किया जाता है, जिसमें ऐसा प्रश्न संबंधित है तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के पश्चात् तीस दिन की तारीख के भीतर किसी समय ऐसे प्रश्न के अवधारण के लिए ऐसे प्रपत्र में जिसे विहित किया जा सके, जिला न्यायाधीश को याचिका फाइल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक याचिका को यथासंभव शीघ्रता से सुना जाएगा और उस तारीख से जिसको जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी, छह मास के भीतर सुनवाई को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

112. निर्वाचन याचिका की सुनवाई के लिए प्रक्रिया—

(1) इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा यथा उपबंधित के सिवाए, वादों के विषय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उपबंधित प्रक्रिया जहां तक उपयोज्य हो सके, जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई के लिए अनुसरित की जाएगी:

परंतु—

(क) दो या अधिक व्यक्ति जिनका निर्वाचन प्रश्नगत है, उसी याचिका में प्रत्यर्थी हो सकेंगे और उनके मामलों का उसी समय विचारण किया जा सकेगा और दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो सकेगी ; किंतु जहां तक जो ऐसे संयुक्त विचारण या सुनवाई से संगत है, याचिका प्रत्येक प्रत्यर्थी के विरुद्ध पृथक् यचिका समझी जाएगी ।

(ख) जिला न्यायाधीश से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह अभिलेखन या साक्ष्यों को पूर्ण रूप से अभिलिखित करे किंतु वह मामले के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए अपनी राय में पर्याप्त साक्ष्य का ज्ञापन तैयार करेगा ;

(ग) जिला न्यायाधीश, कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, किसी प्रत्यर्थी द्वारा उपगत संभावित रूप से उपगत होने वाले उपगत सभी खर्चों के संदाय के लिए प्रतिभूति देने के लिए याची से अपेक्षा करेगा ;

(घ) जिला न्यायाधीश, किसी मुद्दे को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, अधिक साक्ष्य चाहे मौखिक हो या दस्तावेज के रूप में हो, प्रस्तुत करने या प्राप्त करने के लिए आवद्ध होगा जैसा वह आवश्यक समझे ।

(2) खर्चों के संदाय के लिए कोई आदेश या जिला न्यायाधीश द्वारा पारित खर्चों के लिए प्रतिभूतिबंध की वसूली के लिए किसी आदेश का निष्पादन ऐसी रीति में किया जाएगा मानो वसूल की जाने वाली रकम भू-राजस्व की बकाया रकम थी ।

113. जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष—(1) यदि जिला न्यायाधीश ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति की बाबत जिसका निर्वाचन किसी याचिका द्वारा प्रश्रुत है, यह पाता है कि उसका निर्वाचन विधिमान्य था तो याचिका को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध खर्च सहित खारिज कर दिया जाएगा ।

(2) यदि जिला न्यायाधीश यह पाता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अविधिमान्य है तो वह किसी आदेश द्वारा या तो—

(क) उद्भूत होने वाली आकस्मिक रक्ति की घोषणा करेगा ; या

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित होने की घोषणा करेगा जो भी विशिष्ट परिस्थितियों में और समुचित होने के लिए उस दौरान प्रतीत हो और दोनों में से एक मामले में जिला न्यायाधीश अपने विवेक से खर्चा प्रदान कर सकेगा ।

(3) जिला न्यायाधीश द्वारा आकस्मिक रक्ति के उद्भूत होने की घोषणा की दशा में, वह निर्वाचन आयोग को रक्ति भरने के लिए कार्यवाही किए जाने के लिए उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश की एक प्रति भेजेगा ।

114. निर्वाचन का परिवर्जन—(1) धारा 111 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन याचिका की सुनवाई क्रम में यदि जिला न्यायाधीश की यह राय है कि प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाहियों में साक्ष्य भ्रष्ट व्यवहार को प्रकट करता है, ऐसी सीमा तक अभिभावी होगा जो संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को अपास्त करना सलाहकारी है तो वह इस प्रभाव का सशर्त आदेश पारित करेगा और प्रत्येक घोषित निर्वाचित अभ्यर्थी को सूचना देगा जो मामले में पहले पक्षकार नहीं बनाए गए हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को कारण बताओ सूचना देगा कि ऐसे सशर्त आदेश को अंतिम क्यों नहीं कर देना चाहिए।

(2) तत्पश्चात् ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी कारण बताओ सूचना के साथ हाजिर हो सकेगा और उसके समक्ष रखे जाने वाले प्रश्न के प्रयोजन के लिए किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा जो इस मामले में हाजिर हो चुका था ।

(3) जिला न्यायाधीश तत्पश्चात् या तो सशर्त आदेश को रद्द कर देगा या इसे आत्यंतिक करेगा, जिस मामले में वह निर्वाचन आयोग को नयी निर्वाचन प्रक्रिया कराने के लिए उपाय किए जाने के लिए निदेश देगा ।

115. भ्रष्ट या अवैध आचरण के लिए निरर्हता—जिला न्यायाधीश किसी अभ्यर्थी को किसी भ्रष्ट आचरण किए जाने के लिए पाए जाने पर उसे ग्राम सभा की सदस्यता के लिए या इस विनियम के अधीन किसी निर्वाचन के लड़ने के लिए या प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण में किसी पद या स्थान पर रोके जाने के लिए या किसी ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में ऐसे पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जो जिला न्यायाधीश, अवधारित करे, रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपात्र होना घोषित कर सकेगा ।

116. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मामलों में न्यायालयों द्वारा दखल का वर्जन—(1) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस विनियम के अधीन किए जाने या किए जाने के लिए तात्पर्यित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के आबंटन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

(2) धारा 111, धारा 112, धारा 113, धारा 114 और धारा 115 में यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल न्यायालय के पास इस विनियम के अधीन निर्वाचन के संचालन के संबंध में वैधता या विधिमान्यता या की गई कार्यवाही या निर्वाचन आयोग या सचिव पंचायत या सचिव (निर्वाचन) (स्थानीय निकाय) द्वारा दिए गए विनिश्चय पर प्रश्न करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

117. एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध—(1) यदि कोई व्यक्ति से एक अधिक निर्वाचन-क्षेत्र, चाहे ग्राम पंचायत का हो या जिला पंचायत का हो या दोनों हो, से निर्वाचित होता है तो वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में सूचना देगा और उस तारीख या तारीखों के बाद को जिसको वह इस प्रकार निर्वाचित हुआ है चौदह दिन के भीतर किसी निर्वाचन क्षेत्र में वह सेवा करने के लिए इच्छुक है, के बारे में सूचना देगा और तदुपरि सभी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उसका स्थान जिनमें वह सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं है, खाली हो जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी सूचना के व्यतिक्रम में, ऐसे व्यक्ति के सभी स्थान, उस अवधि की समाप्ति पर रिक्त हो जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई सूचना अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगी।

118. जिला पंचायत, ग्राम पंचायत आदि के विरुद्ध कार्यवाही का वर्जन और संस्थित होने के पहले पूर्व सूचना— इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अधीन की गई या की जाने वाली तात्पर्यिक किसी बात के लिए किसी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या ऐसी पंचायत के अभिकर्ता के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के कार्यालय में और सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या उसके अभिकर्ता के निवास में जिसके विरुद्ध, यथास्थिति, ऐसा वाद या कार्यवाही आशयित है, की तामील या परिदान लिखित में अगले दो मास की समाप्ति के ठीक पश्चात् न कर दी गई हो और सूचना में वाद हेतक, चाहे गए अनुतोष की रकम, दावा किए गए प्रतिकर की रकम और वह व्यक्ति जो वाद या कार्यवाही संस्थित करने का आशय रखता है, के नाम आवास के पते का कथन होगा :

परंतु कोई बात जो सद्भावपूर्वक की गई है और इस विनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अधीन किए जाने के लिए आशयित है, के संबंध में ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के किसी सदस्य, अधिकारी या अभिकर्ता के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

119. निर्वाचन संबंधी अपराध—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126, धारा 127, धारा 127क, धारा 128, धारा 129, धारा 130, धारा 131, धारा 132, धारा 132क, धारा 133, धारा 134, धारा 134क, धारा 134ख, धारा 135, धारा 135क, धारा 135ख, धारा 135ग और धारा 136 के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा जैसा कि मानो—

(क) किसी निर्वाचन के प्रति उसके निर्देश विनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश हों ;

(ख) पंचायत या उसके वार्ड की अधिकारिता के भीतर क्षेत्र के प्रति निर्देश सहित निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिर्देश ; और

(ग) “धारा 134 और धारा 136 में, इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन” शब्दों के स्थान पर “लक्षद्वीप द्वारा या उसके अधीन” शब्द और अंक रखे गए हों ;

(घ) धारा 135ख की उपधारा (1) में, “लोक सभा या राज्य विधान सभा” शब्दों के स्थान पर “पंचायत” शब्द रखा जाएगा।

120. प्रवेश की शक्ति—मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने अधिकारियों को उसमें प्रवेश करने के लिए और निरीक्षण या प्रवेश किए जाने के लिए और किसी ग्राम पंचायत या जिला

पंचायत द्वारा दखल में किसी स्थावर संपत्ति या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के निदेश के अधीन कार्य की प्रगति के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

121. पंचायतों के सदस्यों का लोक सेवक होना—ग्राम पंचायत या जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य और ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई अधिकारी या कोई सेवक भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

122. विक्रय आदि में भाग लेने से सदस्यों का विरत रहना—ग्राम पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य या इस विनियम के अधीन किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने वाले अधिकारी या पदधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विक्रय पर विक्रीत किसी संपत्ति के लिए कोड़ बोली नहीं लगाएंगे या हित का अर्जन नहीं करेंगे।

123. अपराधों और पंचायतों की सहायता के संबंध में पुलिस की शक्तियां और कर्तव्य—प्रत्येक पुलिस अधिकारी, उसके ज्ञान में आने वाले किसी अपराध, जो इस विनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविनियमों के विरुद्ध किया गया है, की तुरंत सूचना, सचिव पंचायत को देगा और उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के सभी सदस्यों और सेवकों को सहायता देगा।

124. अभिलेखों का वर्गीकरण और परिरक्षण—प्रत्येक ग्राम पंचायत और जिला पंचायत विहित रीति में अपने अभिलेखों को वर्गीकृत और परिरक्षण करेंगे।

125. अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतियां—प्रत्येक ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर इसके अभिलेखों के निरीक्षण को अनुज्ञात करेंगे और विहित फीस के संदाय पर उसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदान करेंगे।

126. विकास योजना की तैयारी—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत (ग्राम सभा द्वारा दिए गए विकास कार्यक्रमों के सुझावों के विषय में ध्यान रखते हुए) प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा और ऐसी तारीख के पूर्व और ऐसी रीति में जो विहित की जा सके, इसे जिला पंचायत को अग्रेषित करेगा।

(2) प्रत्येक जिला पंचायत ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी और इसे धारा 127 के अधीन यथागठित जिला विकास समिति को अग्रेषित करेगी।

127. जिला योजना समिति—(1) प्रशासक, ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जिला योजना हाथ में लिए जाने के लिए ऐसी रीति में जिला योजना समिति गठित करेगी, जिन्हें विहित किया जा सके।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की बैठक और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जा सकें।

128. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच उप सरपंच और अन्य सदस्यों को मानदेय और भत्ते—ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय और अन्य पर्स और परिलब्धियां तथा ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के प्रत्येक भत्ते ऐसे होंगे जो प्रशासक इस निमित्त नियम बनाकर विनिर्दिष्ट कर सके।

129. सरपंच, उपसरपंच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या समिति के सभापति के विरुद्ध अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति—कोई न्यायालय, प्रशासक या इस निमित्त प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जहां कोई व्यक्ति जो सरपंच, उपसरपंच, पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस अधिनियम के अधीन गठित समिति का सभापति है या रहा है, अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्य रखते समय अपने द्वारा कारित किए गए अभिकथित किसी अपराध का अभियुक्त है।

130. नियम बनाने की शक्ति—(1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्विक प्रकाशन के अधीन, इस विनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा।

131. उपविधियां बनाने की शक्ति—(1) इस विनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सचिव पंचायत प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए उपविधियां विरचित कर सकेगा:—

(क) किसी ऐसे स्रोत से जिससे स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना है, पीने के प्रयोजन के लिए जल के प्रयोग का प्रतिषेध या हटाना ;

(ख) नालियों या सार्वजनिक गली पर परिसरों, या नदी, कुंड, तालाब, कुएं मृदा या किसी अन्य स्थान से जल, अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव को प्रतिषेध करना या विनियमित करना या मुक्त करना ;

(ग) सार्वजनिक गलियों की क्षति रोकना ;

(घ) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्वच्छता, सफाई व्यवस्था, और जल निकासी को विनियमित करना ;

(ङ) दुकानदार द्वारा सार्वजनिक गलियों या अन्य सार्वजनिक स्थान के उपयोग के प्रतिषिद्ध करना या विनियमित करना ;

(च) उस रीति को विनियमित करना जिसमें कुंड, तालाब और हौदी, चारागाह भूमि, खेलने की भूमि, खाद के गड्ढे शवों के स्थान और स्नान के स्थानों के लिए भूमि का रख-रखाव किया जाएगा और उपयोग किया जाएगा ;

(छ) वायु, जल और मृदा आदि के प्रदूषण से किसी प्रकार के बहिस्त्राव का प्रतिषेध या निकासी ;

(ज) भवनों के विनिर्माण विनियमन करना; और

(झ) ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के किसी अन्य कर्तव्य और कृत्यों को विनियमित करना।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई उपविधि यह उपबंध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो विहित किया जा सके और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए उल्लंघन जारी रहता है, रकम को बढ़ाया जा सकेगा।

132. नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—विनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक उपविधि उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या उपविधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं और दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या उपविधि नहीं बनायी जानी चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह नियम या उपविधि केवल ऐसे उपांतरित रूप में या निप्रभावी हो जाएगी तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम या उपविधि के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

133. विनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस विनियम के उपबंध, संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

134. कठिनाई दूर करने की शक्ति—(1) इस विनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्रशासक आदेश द्वारा, जब ऐसा अवसर अपेक्षित हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई बात कर सकेगा जो कठिनाई को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस विनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसमें बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

135. निरसन और व्यावृत्ति—(1) लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 निरसित किया जाता है।

(2) उक्त विनियम का निरसन निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगा--

(क) उक्त विनियम का पूर्व प्रचालन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या हुई कोई बात ;

(ख) उक्त विनियम के अधीन अर्जित उद्भूत या उपगत कोई विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ;

(ग) उक्त विनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत की गई शास्ति, समपहरण या दंड ;

(घ) पूर्वोक्तानुसार ऐसे विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण, या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाई या उपचार,

और ऐसा कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, संस्थित किया, जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड, अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि विनियम प्रख्यापित नहीं किया गया था ।

पहली अनुसूची

पद की शपथ

(धारा 21 और धारा 65 देखिए)

मैं..... जो ग्राम पंचायत/जिला पंचायत..... का सदस्य/उपसरपंच/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और मैं श्रद्धापूर्वक तथा शुद्ध अंतःकरण से, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात के बिना निर्वहन करूंगा ।

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

दूसरी अनुसूची

(धारा 31 देखिए)

ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर विषय

(क) साधारण कृत्यः--

- 1 ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं की तैयारी ।
- 2 प्राकृतिक आपदाओं में अनुतोष प्रदान करना ।
- 3 ग्राम पंचायत की संपत्तियों के अधिक्रमण को हटाना ।
- 4 स्वैच्छिक श्रम संगठित करना और समुदाय के कार्यों में योगदान करना ।
- 5 ग्राम की आवश्यक सांख्यिकी का अनुरक्षण करना ।

(ख) अन्य कृत्यः--

1. कृषि जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है ।
2. भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, भूमि समेकन और भूक्षरण से संरक्षण ।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और वाटरशेड विकास ।
4. पशुपालन डेयरी और कुक्कुट पालन ।
5. मत्स्य पालन ।
6. सामाजिक वानिकी और फार्मवानिकी ।
7. लघु वन उत्पाद ।
8. लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित हैं ।
9. खादीग्राम और कुटीर उद्योग ।
10. ग्रामीण आवास ।
11. पेय जल ।
12. ईंधन और चारा ।

13. सड़क, पुलिया, पुल, नौक, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन ।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें विद्युत का वितरण सम्मिलित है ।
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
17. शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं ।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा ।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ।
20. पुस्तकालय ।
21. सांस्कृतिक गतिविधियां ।
22. बाजार और मेले ।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सम्मिलित हैं ।
24. परिवार कल्याण ।
25. महिला और बाल विकास ।
26. समाज कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण भी सम्मिलित है ।
27. समाज के दुर्बल वर्ग और विशिष्टता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 83 देखिए)

जिला पंचायत की अधिकारिता के भीतर विषय

(क) साधारण कृत्य

1. वार्षिक योजनाओं की तैयारी और एक से अधिक ग्राम पंचायत में आने वाले कार्यों का निष्पादन ;
2. जिला योजनाओं की तैयारी ;
3. वे कार्य ग्रहण करना जिसे ग्राम पंचायत निष्पादित नहीं कर सकती किन्तु जिला पंचायत द्वारा निष्पादित किया जा सकता हो ;
4. प्रशासक द्वारा जिला पंचायत को समनुदेशित कोई अन्य कार्य करना ;

(ख) अन्य कृत्यः--

1. कृषि जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है ।
2. भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, भूमि समेकन और भूक्षरण से संरक्षण ।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और वाटरशेड विकास ।
4. पशुपालन डेयरी और कुक्कुट पालन ।
5. मत्स्य पालन ।
6. सामाजिक वानिकी और फार्मवानिकी ।
7. लघु वन उत्पाद ।
8. लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित हैं ।
9. खादीग्राम और कुटीर उद्योग ।
10. ग्रामीण आवास ।
11. पेय जल ।
12. ईंधन और चारा ।
13. सड़क, पुलिया, पुल, नौक, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन ।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें विद्युत का वितरण सम्मिलित है ।
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
17. शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं ।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा ।

19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ।
20. पुस्तकालय ।
21. सांस्कृतिक गतिविधियां ।
22. बाजार और मेले ।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सम्मिलित हैं ।
24. परिवार कल्याण ।
25. महिला और बाल विकास ।
26. समाज कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण भी सम्मिलित है ।
27. समाज के दुर्बल वर्ग और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

चौथी अनुसूची
(धारा 82 देखिए)

वे विषय जिन पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से प्रशासक द्वारा सलाह ली जा सकेगी ।

1. जिला पंचायत से संबंधित सभी साधारण विषय ।
2. जिला पंचायत के कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण से संबंधित विषय ।
3. जिला पंचायत के प्रशासन का पुनर्विलोकन और जिला पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय ।
4. जिला पंचायत की कठिनाइयों को दूर करना ।
5. लघु उद्योग से संबंधित विषय जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है ।
6. संघ राज्यक्षेत्र स्तर के शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित विषय ।
7. इसके करों से संबंधित प्रस्ताव ।
8. कोई अन्य विषय जिस पर प्रशासन परामर्श करना चाहे ।

पांचवीं अनुसूची
(धारा 14 और धारा 61 देखिए)

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वचन - इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) पंचायत के किसी सदस्य के संबंध में "मूल राजनीतिक दल" ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसको वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य ;

(ख) "पंचायत" से इस विनियम के अधीन गठित जिला पंचायत अभिप्रेत है ;

(ग) "पैरा" से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है ।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता- (1) पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पंचायत का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है पंचायत का सदस्य होने के लिए उस दल में निरर्हित होगा जिसमें—

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वैच्छा से छोड़ दी है ; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी पंचायत में मतदान या मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ;

स्पष्टीकरण- इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए, पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, का सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के रूप में खड़ा किया था।

(2) पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, पंचायत के सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, इस विनियम के प्रारंभ पर किसी पंचायत का सदस्य है--

(i) उस दशा में जिसमें वह ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था, वहां इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए ऐसे अभ्यर्थी के रूप में ऐसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ है।

(ii) किसी अन्य दशा में यथास्थिति, इस पैरा के उप पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह पंचायत का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप से सदस्य निर्वाचित हुआ है।

3. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के विलय की दशा में लागू न होना- (1) पंचायत का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा जहां उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल से विलय होता है और वह यह दावा करता है कि वह उसके मूल राजनीतिक दल का वह और कोई अन्य सदस्य--

(क) यथास्थिति ऐसे अन्य राजनीतिक दल के ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं ;

(ख) उन्होंने विलय को स्वीकार नहीं किया है और पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है और ऐसे विलय के समय से यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नये राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पैरा 2 के उप पैरा (1) में प्रयोजनों के लिए ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, पंचायत के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा यदि संबंधित पंचायत में ऐसे राजनैतिक दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय पर सहमत हो गए हैं।

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों पर विनिश्चय-- (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि पंचायत का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को उनके विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) किसी ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व प्रशासक अंदाजमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 185 के अधीन निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और तदनुसार ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

5. नियम - प्रशासक, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा और विशिष्टियां और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा--

(क) पंचायत के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना।

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो पंचायत के किसी सदस्य के संबंध में विधान दल का नेता उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा और वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा।

(ग) ऐसा प्रतिवेदन जिन्हें राजनीतिक दल पंचायत के किसी सदस्य के ऐसी राजनीतिक दल की प्रविष्टि करने के संबंध में देगा और पंचायत का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएंगे ; और

(घ) पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है जो ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए की जाए।

प्रदीप सिंह,
स० वि० प०